adjourned for lunch and will meet again at 2.30.

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-four minutes past two of the clock,

The Vice-Chairman (Shrimati Kanak Mukherjee) : in the Chair

RESOLUTION RE. NEW SUGAR POLICY

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KANAK MUKHERJEE): Shri Virendra Verma to move the Resolution regarding the new sugar policy.

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदया, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूं:—

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि सरकार द्वारा घोषित नयी चीनी नीति न तो गन्ना उत्पादकों और न ही उपभोक्ताओं के हित में है, बल्कि चीनी मिल मालिकों के हितों का संवर्धन करती है, यह सभा सिफारिश करती है कि:—

(i) गन्ने का लाभकारी मूल्य, गन्ने और चीनी की उत्पादन लागत और मूल्यों में सामान्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होना चाहिये जिससे कि अधिक मात्रा में गन्ना और चीनी का उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहन दिया जा सके;

(ii) सहकारी चीनी मिलों का स्वामित्व शेयरधारियों (गन्ना उत्पादकों) को तत्काल अन्तरित किया जाना चाहिये और लाभ को प्रति वर्ष शेयरधारियों में नियमित रूप से वितरित किया जाना चाहिये;

(iii) नये चीनी एककों की स्थापना का प्रमुख आधार गन्ना क्षेत्र और चीनी की वसूली होना चाहिये;

(iv) नयी और आधुनिक चीनी मिलें एक दूसरे से 25 कि मी० से कम दूरी पर नहीं होनी चाहिये और पेराई क्षमता गन्ने की उपलब्धता के अनुसार 2500 मीटरी टन की बजाय 1500 और 1800 मीटरी टन के बीच होनी चाहिये;

(v) देश में समस्त पुरानी और अप्रचलित चीनी मिलों के आधुनिकीकरण का एक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये और उसे तत्काल लागू किया जाना चाहिये; और

(vi) मिल क्षेत्रों में गन्ना अनुसंधान कार्यक्रम तथा अन्य विकास गतिविधियों यथा सिंचाई सड़कों का निर्माण, नालियों की व्यवस्था आदि को उपयुक्त रूप में बढ़ाया जाना चाहिये।"

उपसभाध्यक्ष महोदया, भारत विश्व का प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है। संसार में जितना गन्ना पैदा होता है उसका 25 प्रतिशत क्षेत्रफल इंडिया में है। सन् 1981-82, 1982-83 में भारत ने 84 लाख 36 हजार और 82 लाख 32 हजार टन क्रमश: चीनी का उत्पादन किया। विदेशों को चीनी भी भेजी और आवश्यक विदेशी मुद्रा भी भारत ने अर्जित की थी। किन्तु इसके पश्चात् उत्पादकों की उपेक्षा की गई और सन् 1984 से सन् 1986 के दो वर्षों में 33 लाख टन चीनी का विदेश से आयात किया गया। जो देश विदेशों को चीनी भेजकर विदेशी मुद्रा अर्जित करता है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करके रिकार्ड स्थापित किया है वह मजबूर हो जाय विदेशों से चीनी मंगाने के लिये अपनी विदेशी मुद्रा गवांकर तो यह हमारे लिये शर्म की बात है। जिन चीजों में हम विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं उनमें भी हम विदेशों से विदेशी मुद्रा गंवाकर के आयात करें तो यह हमारे लिये लज्जा की बात है और 800 करोड़ रुपये की चीनी हमने इन दो वर्षों में मंगाई है। चालू सीजन में 7 लाख टन चीनी का आयात किये जाने के आदेश हैं। महोदया, यह ऐसा क्यों हुआ है? कहां किसानों की उपेक्षा हुई? क्यों चीनी का उत्पादन गिरा? क्यों गन्ने का उत्पादन गिरा? सन् 1981-82, 1982-83, 1983-84 के वर्षों में जो एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन ने गन्ने के मूल्य की संस्तुति की थी भारत सरकार ने वह संस्तुति स्वीकार नहीं की और गन्ने का स्टेट्युटरी मूल्य तीनों वर्षों में लगातार 13 रुपये क्विंटल ही रखा

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

और 65 प्रतिशत लेवी की चीनी थी 35 प्रतिशत फ्री सेल की चीनी थी। दोनों के भावोंमें अंतर था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तीनो वर्षों तक लगातार साढ़े इक्कीस रूपये प्रति क्विंटल भाव रखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में साढ़े बीस रुपये प्रति क्विंटल भाव रखा। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इन तीनों वर्षों में मैनुफक्चर्ड कमोडिटीज की कीमतें नही बढ़ी हैं? क्या कृषि आदानों की कीमतें नहीं बढ़ी हैं? क्या कृषि उत्पादन के मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है? क्या कास्ट आफ लिविंग में किसान के दूसरी वस्तुओं की चीजों के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई? अगर हुई है, तो तीन साल तक लगातार एक ही कीमत रखे जाने का क्या कारण था? इस कारण गन्ने का क्षेत्रफल भी गिरा और चीनी का उत्पादन भी गिरा। महोदया, इस वर्ष गतवर्ष की तुलना में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक रुपया क्विंटल गन्ने की कीमत बढ़ाई। पिछले वर्ष 24 थी और इस साल 25 हो गई। महोदया, आपने साढ़े 17 रुपये क्विंटल से बढ़ाकर 18 रुपये क्विंटल स्टेट्यूटरी कीमत बढ़ाई है। क्या पैरिटी आफ् प्राइस जिसे हम कहते हैं कृषि उत्पाद में कृषि आदानों के मूल्यों में समानता है? यह न होते हुए भी किसान को लाभकारी मूल्य सरकार न दे सकी और उसी कारण गन्ने का उत्पादन गिरा। चीनी का उत्पादन 84.36 लाख और 82.32 लाख से गिरकर और मजबूर होकर हमें विदेशों से इसका आयात करना पड़ा। महोदया, इस वर्ष जो आपने चीनी की नीति घोषित की है वह किसान के लिये लाभप्रद नहीं है। वह मिल मालिकों के लिये लाभप्रद है। चार उसके मैं आपको कारण बताऊंगा। पहला, आपने पिछले दो वर्षों में जो 65 प्रतिशत लेवी चीनी थी, उसको घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। नतीजा यह कि मिल-मालिकों को 15 फीसदी लेवी-चीनी फ्रीसेल में बेचने की आपने छूट दे दी, यह एक मुनाफा। फिर 5 रुपये क्विंटल चीनी के भाव में आपने वृद्धि की। प्रारंभ में एक्साइज कर में आपने छूट दी और अब आपने मई-जून के महीने में उत्पादन कर में छूट दी। ये चारों बातें मिल-मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिये की हैं और जिस किसान के गन्ने से चीनी का उत्पादन होता है, उस किसान को उत्तर प्रदेश में गन्ने की कीमत में केवल एक रूपए क्विंटल की वृद्धि दी गयी।

महोदया, गत् वर्ष जब क्रेसर अच्छी कीमत दे रहा था, गुड़ का अच्छा भाव था तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने गुड़ के लदान पर पाबंदी लगाई कि गुड़ कहीं बाहर नहीं जा सकता। गुड़ बाहर फिर भी जाता रहा, लेकिन पुलिस को रिश्वत देकर के। इसकी आखिर यहां भी भारत सरकार को शिकायत की, बाहर भी शिकायत हुई, विधायकों ने शिकायत की तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पाबंदी लगाई थी, उसे वापिस लिया। महोदया, जब अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिये किसानों ने इस सीजन में कोशिश की तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने आदेश दिया कि क्रेशर वाले 25 रुपए से ज्यादा कीमत नहीं दे सकते और उसका पालन कराया गया, क्रेशरों को बंद कराया गया, खड़े कोल्हू को बंद कराया गया। जो किसान गन्ना पेरने के लिये रखे हुए थे, वह गन्ना पेर न सकें और मजबूर होकर वह गन्ना मिलों में जाय, ऐसी कोशिश की गयी।

महोदया, क्रेशर और कोल्हू हिन्दुस्तान में बहुत सालों से हैं। कोल्हू सैकड़ों साल पुराना है, जिसमें सैकड़ों सालों से गांव के गरीब आदमियों को रोजगार मिलता रहा है और क्रेशर भी गांवों के गरीब आदमियों को रोजगार देने के लिये लगे हैं। ये दोनों छोटे उद्योगों गांवों में हैं, इनके अलाव कोई भी उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हैं। ये दोनों उद्योग ग्रामीण लोगों को रोजगार देते हैं, लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और इन दोनों ही उद्योगों पर मिल-मालिक कुठाराघात करते हैं जिसमें सरकार भी उनकी सहायता करती है। मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि ग्रामीण-क्षेत्रों के इन

उद्योगों को, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है और जैसी कि सरकार की नीति है घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने की, कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ाने की, इन को बचाया जाय। मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और यह कोशिश करेंगे कि उन पर किसी भी प्रकार की पाबन्दी न लगाई जाय, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

महोदया, आपकी जानकारी के लिये मैं यह बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ वर्ष पहले 6000 केन-क्रेशर थे, जो अब बंद होकर अब केवल 1500 रह गये हैं यानी 25 फीसदी चल रहे हैं और 75 फीसदी बंद हो चुके हैं। अकेले मुजफ्फरनगर में, जहां से मैं आता हूं, वहां 1100 क्रेशर थे, अब केवल 275 क्रेशर रह गये हैं और उनमें भी आज बहुत से चल नहीं रहे। इसलिये ये उद्योग जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, उनको बंद करने की तरफ सोचना ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर कुठाराघात करना होगा।

महोदया, सटोरिये जब स्टाक करने की स्थिति में आए, जनवरी में स्टाक नहीं करते गुड़ का; उसके बाद फरवरी में गुड़ का स्टाक प्रारंभ किया तो सब लोगों ने गुड़ का भाव गिराया और 25—30 रुपये क्विंटल तक भाव गिराया। जब स्टाक पूरा हो चुका, गुड़ का उत्पादन कम हुआ तो फिर भाव बढ़ा दिया। सरकार न तो, स्टोरियों की इस गलत शोषण-नीति को रोक सकी और न ही क्रेशर जो 12 या 14 रुपये क्विंटल पर किसान का खरीद रहे थे, उन पर रोक लगाकर किसान को उचित मूल्य दिला सकी। माननीया, मेरी जानकारी के अनुसार इस महीने के आखीर तक सारे हिन्दुस्तान मे 225 करोड़ रुपया पड़ा है किसानों के गन्ने का बकाया। आप हमको प्रतिशत बताकर गुमराह करते हैं। मंत्री जी हमें प्रतिशत न बतायें, हमें फिगर्स बतायें कि कितना रुपया किसानों के गन्ने की कीमत का बकाया है। मेरे आंकड़ों के अनुसार 2 अरब 25 करोड़ रुपया इस महीने के अंत तक किसानों का बकाया रहेगा मिलों पर। माननीय मंत्री जी की जानकारी में मैं यह भी ला देना चाहता हूं कि गत वर्ष किसानों के गन्ने की बकाया राशि केवल 95 करोड़ थी जो इस साल बढ़कर 225 करोड़ रुपये पड़ी हुई है।

माननीय, मुझे बड़ा दुख है कि भारत सरकार ने 20 वर्ष पूर्व किसानों को 15 फीसदी सूद दिलाने का कानून बनाया कि 14 दिन के बाद जो बकाया रहेगा उस पर सूद दिया जायेगा। लेकिन माननीय मंत्री जी यह बतायें की कृपा करेंगे कि इन 20 वर्षों के बाद अब तक किसी फैक्टरी ने सारे हिन्दुस्तान के किसी प्रदेश ने एक नया पैसा प्रतिशत भी बकाए पर किसानों को सूद दिया है? यदि यह मंत्री जी को पता हो तो वे बतायें।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, आपकी आज्ञा से मैं माननीय मंत्री जी को यह भी बता देना चाहता हूं कि 10 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक सरकार ने बनाया था। उस पर आपने 18 फीसदी का सूद, एक फीसदी सरचार्ज, आधा फीसदी का इंश्योरेंश चार्ज, कुल साढ़े 19 फीसदी के करीब मिल मालिकों को दिया है। फरवरी तक की जानकारी के अनुसार उनको कुल 78 करोड़ 30 लाख रुपया दे चुके हैं और अब तक कुल 85 करोड़ रुपया उनको दे चुके होंगे। लेकिन किसानों को एक रुपया भी आपने सूद का दिलाया हो तो कृपया अपने भाषण में, अपने उत्तर में मुझे बताने की कृपा करें।

माननीया, कानून होते हुए भी आप उनको नहीं दिलवा पा रहे हैं तो कानून आप किसलिये बनाते हैं? मिल वालों को तो साढ़े 19 प्रतिशत दिलाया और किसानों को 15 प्रतिशत भी सूद नहीं दिया जाता। कानून के अंदर जितनी चीनी का उत्पादन होगा वह तमाम चीनी उत्पादक के, मजदूरों के वेतन के भुगतान के लिए, बैंकों में बंधक में रखी जाएगी और

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

बैंकों में बंधक रखे जाने के बाद जो अग्रिम राशि प्राप्त होगी उससे यह सारा भुगतान किया जाएगा । लेकिन माननीय मंत्री महोदय मिल मालिक अपनी पूरी उत्पादित चीनी बंधक नही बनाते। बंधक अगर बनाते हैं तो वे पूरा कर्जा नहीं लेते इस कारण कि उन्हें कर्जा लेने पर सूद देना पड़ेगा इसलिए पूरी चीनी बैंकों में जमा नहीं करते जिससे कि उन्हें सूद न देना पड़े किसानों को सूद नहीं देते, वह किसानों के बकाया का भी भुगतान नहीं करते । उनकी प्राइस का पेमेंट नहीं करते । इसलिए माननीया, कानून में इसके लिए दण्ड व्यवस्था होते हुए भी सरकार नाकामयाब है मिल मालिकों के विरूद्ध कार्यवाही करने में और आज वे अपनी उत्पादित चीनी बैंकों में नहीं रखते । जो पूरा रुपया लेकर के किसानों के बकाया का भुगतान नहीं करते । लिहाजा मेरा मंत्री महोदय को सुझाव है कि चीनी की अनिवार्यता पूरा उत्पादन बैंकों में बंधक रखा जायेगा और बंधक पर रखी जाने वाली चीनी की पूरी राशि ली जायेगी और जितना चीनी का उत्पादन प्रतिदिन होगा वह प्रतिदिन चीनी का उत्पादन बैंकों में बंधक रखा जायेगा और बंधक रखकर जितनी राशि प्राप्त होगी उसकी सूचना केन कोआपरेटिव सोसाइटी को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना अनिवार्य होगा जिससे वह घपला न कर सकें और किसानों की पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं आयेगी । एक प्रश्न हमेशा यह उठता है कि किसान संघर्ष करते हैं कि उन्हें लाभप्रद मूल्य दिया जाये । जिस समय इस देश के खादय मंत्री स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवई थे उन्होंने एक फार्मूले की घोषणा की थी 1953 ईस्वी में । वह फार्मूला यह था कि जितना रुपया मन चीनी उतने ही आने मन गन्ने का भाव । माननीय खाद्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सन् 1953 में जिसे 34 साल हो गये हैं जो किदवई साहब ने फार्मूला रखा था उसे स्वीकार कर लिया जाये हमें वह स्वीकार है । किसानों के हितो की रक्षा इससे होनी है । सांईटिफिक तरीका आप कोई अपनाइये । यह नहीं होना चाहिये कि कभी आठ आने बढ़ा दिया और कभी एक रुपया बढ़ा दिया । चीनी जो गन्ने से बनती है उस चीनी के उत्पादन में जितना भी व्यय होता है उस व्यय में गन्ने की कितनी कीमत निकलती है इसको हिसाब लगाकर देखा जाए । सन् 1950-51 में जब आप की पहली योजना चालू हुई तब 67 फीसदी के करीब गन्ने का मूल्य चीनी उत्पादन व्यय में लगाया जाता था । सांइटिफिक तरीका यह है कि हर साल इसका ब्यौरा आप निकालें । मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सांइटिफिक बेसेज पर 67 फीसदी चीनी के कास्ट आफ प्रोडेक्शन में गन्ने की कीमत लगायें और हमेशा के लिए यह झगड़ा समाप्त करें । चाहे आप कदवई साहब का फार्मूला अपनायें या चीनी के कास्ट आफ प्रोडेक्शन में 67 फीसदी गन्ने की कीमत को स्वीकार करें तभी यह मामला हल होगा ।

अगली बात आपकी आज्ञा से मैं यह कहना चाहता हूं हमारे देश में चीनी का उत्पादन व्यय बहुत ज्यादा है ; मिल मालिको ने हजारों तरीके ऐसे अपना रखें हैं कि अपनी चीनी की कास्ट बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं नाट एट द कास्ट आफ फार्मर्स केन प्रोडेक्शन । किसानों को गन्ने की कीमत ठीक नहीं मिलती उसकी रेशो घटती जा रही है और चीनी की कास्ट आफ प्रोडेक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा है । इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि चीनी के उत्पादन व्यय में, जो दुनिया का सबसे अधिक है, कमी की चेष्ठा की जाये, इसके लिए प्रयास किया जाये ।

सरकार की नीति है कि सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों की स्थापना करना । यह स्वागतयोग्य कदम है । उत्तर प्रदेश में भी 36-37 कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज स्थापित है । पिछले 30 साल से उत्तर प्रदेश में बगपत व बाजपुर आदि में कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज बनी इसकी मझे जानकारी है लेकिन पिछले 30 सालों से आज तक एक भी कोआपरेटिव शुगर फेक्टरी का मालिकाना अधिकार किसानों को नहीं दिया गया । वे कैसी कोआपरेटिव हैं ? उनकी शेयर पूंजी भी है । लेकिन इन पिछले 30 वर्षों में एक साल भी एक नया

पसा लाभांश का शेयरहोल्डस को उन्होंने नहीं दिया है। ये कैसी कोम्रापरेटिव फैक्ट्रीज हैं? महाराष्ट्र और गुजरात में और दूसरी जगहों पर कोआपरेटिव फेक्ट्रीज है। वहां पर उनकी मिल्कियत किसानों की है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मिलिकयत सरकार की है। या तो आप इनका नाम बदल दीजिए, इसको, सहकारी कोआपरेटिव फेक्ट्रीज से बदलकर सरकारी कर दीजिए अन्यथा इनकी मिल्कियत आप किसानों में ट्रांसफर करें। हर साल नियमित रूप से उनका मुनाफा उनमें बांट दीजिए। मुझे जानकारी है, पिछले साल सहारनपुर जिले में एक सर्वसावा शुगर फैक्ट्री को 10 रु० क्वींटल के हिसाब से मुनाफा हुआ और इसी तरह से दूसरी कोआपरेटिव फेक्ट्रीज को भी मुनाफा हुआ। लेकिन उन्होंने एक नया पैसा भी नहीं बांटा। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा, आदरनीय मंत्री जो आप तो दूसरा कागज पढ रहे हैं, अब एक नया फण्ड बनाया गया है उत्तर प्रदेश में और उसका नाम नान रिफन्डेबल डिपोजिट रखा गया है यानी एसा फण्ड जो कभी वापस नहीं होगा या क्षतिपूर्ति फण्ड जो भी नुक्सान होगा, वह उसको होगा। इस सर्वसावा शुगर फैक्ट्री ने गत वर्ष उस मनाफे में से वहां के केमिस्ट, मनेजर, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को 21 लाख रु० बांट दिये। उनको चार महीने की तनख्वाह का बोनस दिया। ये फीगर्स कम-ज्यादा हो सकती है।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI H. K. L. BHAGAT): Madam, if Mr. Verma agrees, I will say few words. Of course, I will reply to the debate at the end. But he talked of certain arrears and quoted certain figures. I would like to say something now.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : बाद में बता दीजिए।

श्री एच०के०एल० भगत : मेरे पास फीगर्स हैं, इसलिए बता रहा हूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : फीगर्स तो मेरे पास भी है।

श्री एच० के०एल० भगत : आपकी फीसर्ग और मेरी फीगर्स में जमीन-आसमान का अन्तर है।

What is wrong if I give the figures now itself.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : बाद में बता दीजिए।

SHRI H. K. L. BHAGAT: Madam, I just want to give this information to the House because we should not act on certain assumptions. The position of sugarcane arrears as on 15th March 1987 is like this: On an all-India basis, the total payable was Rs. 1369.67 crores. Out of that Rs. 1215.52 crores have been paid. Including 14 days' grace balance it comes to Rs. 154.15 crores. The percentage comes to 11.3.

मैं फीगर्स बता रहा हूं। यू.पी. में 428.94 करोड़ है, पेयेबल है 387.51 करोड पेमेंट हो गया है, 41.42 करोड़ बाकी है और जो बेलेन्स 14 दिन के ग्रेस को मिलाकर आल इण्डिया का 154.15 करोड़ रुपये हैं और वह छोड़कर आल इंडिया का 24.06 करोड़ बचेगा। यू.पी. में 41.42 करोड़ बाकी है, 14 दिन के ग्रेस को छोड़कर यह 1 करोड़ 30 लाख बचेगा This is the position of sugarcane areas which has very much improved this year as compared to last year.

3.00 P.M.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : अपने भाषण में कहियेगा।

मान्यवर, मैं दूसरी बात कह रहा था कि सहकरी चीनी मिलों की ओर माननीय मंत्री जी ने अपना ध्यान नहीं दिया इसलिए मझे मजबूर होकर इस बात को रपोर्ट करना पड़ रहा है। कोआपरेटि शगर फैक्टरीज जो 36 या 37 के करीब उत्तर प्रदेश में पिछले 30 सालों से स्थापित हैं और कुछ नई है। आज तक तक एक साल का भी उन्होंने मुनाफा डिस्ट्रीब्यट अपने शेयर होल्डर्स, अंश धारकों में नहीं किया। उनका कोई बनाव नहीं, मालिकाना अधिकार उनको नहीं है;

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

बल्कि सरकार मालिकाना अधिकार लिये बैठी है और जो मुनाफा बढता है वह मिल के कर्मचारियों, अधिकारियों, और लेबर में बंटता है। लेकिन अंश धारकों को एक नया पैसा भी नहीं दिया जाता है। जो फंड बनाया है क्षति पूर्ति फंड तथा एन० आर० एफ. नान रिफन्डेबल फंड यह केवल उत्तर प्रदेश में है और जगह नहीं है। इसलिए इसकी तरफ आप ध्यान दें और ऐसी कोशिश करें ताकि वे असली सहकारी चीनी मिलें बन सकें। आप किसानों को उनकी मिल्कियत दें, प्रति वर्ष उनको मुनाफा बांटा जाय यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है।

महोदया, नयी शुगर फैक्टरी स्थापित करने का जहां तक प्रश्न है इसके लिये आपने एक नीति बनाई है कि ढ़ाई हजार मीट्रिक टन एक दिन में वह गन्ना क्रेश करेगी। मान्यवर, मेरी आपसे मांग है कि 15 सौ से लेकर 18 सौ टन तक आप इन मिलों की क्रैशिंग कपेसिटी रखें। इसमें किसान अपने शेर्यर्स, अपने अंश, अपने हिस्से को जमा करके जब वह उसका पूरा मालिक हो जायेगा तो अपने आप उसका एक्सपेंशन कर लें। दूरी के अलावा शुगर फैक्टरीज की स्थापना का जो बेसिस है, आधार है वह गन्ने का एरिया और गन्ने की रिकवरी ही होना चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ शुगर फैक्टरीज हैं। लेकिन दोनों को गन्ना नहीं मिलता। चार-चार मील के फासले पर शुगर फक्टरियां जो हैं उनको गन्ना नहीं मिलता। 25 किलोमीटर के फासले पर जहां गन्ना उपलब्ध हो, रिकवरी अच्छी हो तो वहां पर गन्ने की रिकवरी और गन्ने की उपलब्धता के आधार पर आप चीनी मिलों की स्थापना करें, यह मान्यवर मेरा सुझाव है।

मान्यवर, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में बहुत सी मिलें ऐसी है जिनकी हालत खराब है। मान्यवर, मैं बिहार की कुछ फक्टरियों का नाम लेना चाहता हूं स्याल में एक सीजन में पूरा 646 टन, लोहाट में 749, साकरी में 507, वीजटा में 690 टन, वरसाल गंज में 540 टन, गुरारी में 215 टन, प्लासी में 229 टन, अहमदपुर में 220 टन, बारगोला में 492 टन चीनी का उत्पादन हुआ है। इसी तर से वेस्ट बंगाल में बहुत सी फैक्टरियों की हालत खराब है।

आखिर में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में जहां भी पुरानी, जर्जर, ओल्ड, आउट डेटेड शुगर फैक्टरीज है उन सब के आधुनिकीकरण की तरफ आप अपना विशेष ध्यान दें। भारत सरकार ने एक हजार करोड़ रुपया पुरानी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए रखा है। आपके पास शुगर डवलपमेंट फण्ड भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तीसों फैक्टरीज ली हुई हैं परन्तु इन सारी शुगर फैक्टरीज पर उत्तर प्रदेश सरकार का प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये की हानि होती है। इन हालात में यह पुरानी शुगर फैक्टरीज जो जर्जर हालात में हैं इन से किसी को भी लाभ नहीं मिल सकता है न किसान को लाभ मिल सकता है, न मजदूर को और न सरकार को लाभ मिल सकता है। इसलिये राष्ट्रीय हित में किसानों और मजदूरों के हित में इन सभी फैक्टरीज का अविलम्ब शीघ्राति-शीघ्र बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण करने पर विचार करें और तभी उनको चलवायें। अगर मर्ज करने की जरूरत हो तो नजदीक नजदीक की फैक्टरीज को मर्ज कर के बड़ा बनायें सही फासले पर रखें उनके जो मजदूर हैं जो नयी फैक्टरीज बनाएं उन में उनको एडजस्ट करें जिससे उन में बेकारी की समस्या पैदा न हो। आप तो हर साल नयी फक्टरीज लगाते हैं लकिन जल्दी से जल्दी इनके आधुनिकीकरण की तरफ आप का ध्यान जाना चाहिये।

महोदया, गन्ने के अनुसंधान पर, अन्वेषण पर उत्तर भारत में सरकार ने बहुत कम ध्यान दिया है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि ध्यान गया ही नहीं है। जितनी चीनी की रिकवरी अब से 20 साल पहले थी अब भी वही की वही है। जितनी ईल्ड थी करीब करीब वही है, थोड़ा सा इजाफ़ा हुआ है। इन परि-

स्थितियों में आपसे यह निवेदन है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी शुगरकेन सेंस ऐक्ट बनाया था । उस में जो कुछ रुपया था वह सारा जनरल पूल में डाल दिया गया । जब वह कानून बना था तो यह कहा गया था कि वह रुपया उस क्षेत्र के विकास पर खर्च होगा फैक्टरीज क्षेत्र के विकास पर खर्च होगा, गन्ना उत्पादकों के लिए सिचाई, सड़कें, बरसाती पानी की निकासी पर खर्च होगा लेकिन उस के ऊपर बिलकुल यह खर्च नहीं हुआ है । कीटनाशी दवाइयां, पानी की निकासी, सिचाई की व्यवस्था, सड़कों का निर्माण आदि अच्छे बीजों की सप्लाई की तरफ सरकार ध्यान दे और यह कोशिश करे कि हम किसानों में नया उत्साह पैदा करें । अपनी बात समाप्त करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मैंने सुझाव दिये हैं उन पर सरकार विचार करे और मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि चीनी के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करें ।

[उपसभापति महोदया पीठासीन हुईं]

उपसभापति महोदया, यह राष्ट्रीय आयोग चीनी के विषय में एक दीर्घकालिक नीति बनाए ताकि यह देश हमेशा चीनी का निर्यातक देश बना रहे और हम को आयात करने के लिए कभी मजबूर न होना पड़े और न शुगर की कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़े और किसानों को भी अपने उत्पादन का लाभप्रद मूल्य प्राप्त हो सके । इन बातों के साथ मैं मंत्री जी से यह अपेक्षा करूंगा कि जो सुझाव मैंने दिये हैं वे राष्ट्रीय हित में हैं और उत्पादक और उपभोक्ता सभी की तरफ ध्यान देंगे, विदेशी मुद्रा भी बचायेंगे, चीनी का उत्पादन भी बढ़ागें और देश के हितों की रक्षा भी करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

The question was proposed.

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, आदरणीय वीरेन्द्र वर्मा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उन्होंने देश के लाखों किसानों के सवाल को सदन में प्रस्तुत किया है । वीरेन्द्र वर्मा जी ने जो गैर-सरकारी प्रस्ताव रखा है उसके अनुसार, "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार द्वारा घोषित नयी चीनी नीति न तो गन्ना उत्पादकों और न हीं उपभोक्ताओं के हित में है, बल्कि चीनी मिल मालिकों के हितों का संवर्धन करती है, यह सभा सिफारिश करती है कि :

(1) गन्ने का लाभकारी मूल्य, गन्ने और चीनी की उत्पादन लागत और मूल्यों में सामान्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होना चाहिय जिससे कि अधिक मात्रा में गन्ना और चीनी का उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहन दिया जा सके,

(2) सहकारी चीनी मिलों का स्वामित्व शेयरधारियों (गन्ना उत्पादकों) को तत्काल अन्तरित किया जाना चाहिये और लाभ को प्रति वर्ष शेयरधारियों में नियमित रूप से वितरित किया जाना चाहिये,

(3) नये चीनी एककों की स्थापन एक प्रमुख आधार गन्ना क्षेत्र और चीनी की वसूली होना चाहिये,

(4) नयी और आधुनिक चीनी मिलें एक दूसरे से 25 कि. मी. से कम दूरी पर नहीं होनी चाहिये और पेराई क्षमता गन्ने की उपलब्धता के अनुसार 2500 मीटरी टन की बजाये 1500 और 1800 मीटर टन के बीच होनी चाहिए,

(5) देश में समस्त पुरानी और अप्रचलित चीनी मिलों के आधुनिकीकरण का एक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये और उसे तत्काल लागू किया जाना चाहिये, और

(6) मिल क्षेत्रों में गन्ना अनुसधान कार्यक्रम तथा अन्य विकास गतिविधिया

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

यथा सिंचाई, सड़क का निर्माण, नालियों की व्यवस्था आदि को उपयुक्त रूप में बढ़ाया जाना चाहिये।"

उपसभापति महोदया, देश के नेता हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री जी ने श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर कहा कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हिंदुस्तान के किसान हैं। जैसे दो बाहें हैं वैसे ही जय जवान और जय किसान हैं। किसान अपने एक हाथ से खेती करता है, अन्नदाता प्राणदाता का काम करता है और दूसरा हाथ उसका बेटा देश की सीमाओं पर खड़ा होकर राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करता है। जवान और किसान ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दे और कांम्पलीमेंटरी एण्ड सप्लीमेंटरी।

उपसभापति महोदया, बुनियादी रूप से हिंदुस्तान एक गांवों का देश है और हिंदुस्तान का विकास, हिंदुस्तान की तरक्की आजादी की लड़ाई के उद्देश्यों की पूर्ति और महात्मा गांधी के सपनों का हिंदुस्तान तभी बनेगा जब हिंदुस्तान खुशहाल होगा। हिन्दुस्तान तब खुशहाल होगा जब गांवों के लोग खुशहाल होंगे। गांवों के लोग तब खुशहाल होंगे जब खेती करने वाले किसानों को, लोगों को उनके द्वारा पैदा की हुई चीजों का उचित दाम, लाभप्रद दाम मिलेगा। तब यह राष्ट्र खुशहाल बनेगा

आदरणीय उपसभापति महोदया जो चीनी के कारखानों के मालिक हैं पहले तो मेरी मांग है कि गन्ने का दाम, एच० के०एल० भगत जी 40 रुपये क्विंटल होना चाहिए। आज गन्ने का दाम 24 रुपये प्रति क्विंटल उत्तरप्रदेश की सरकार दे रही है और आपने स्टेट्यूटरी प्राइस 8 आने बढ़ाया है। 18 किया है। पिछले साल आठ आने बढ़ाया है। मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से अपील करता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान की चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। प्राइवेट पूंजीपतियों के हाथों में किसी भी कीमत पर अब ये मिलें नहीं होनी चाहिए।

1969 में कांग्रेस पार्टी के बम्बई के अधिवेशन में जब इंडीकेट, सिंडीकेट का निर्माण हुआ था तो श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने यह प्रस्ताव किया था कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होगा। मगर वह 1969 का कांग्रेस कमेटी का प्रस्ताव आज 1987 तक इम्पलीमेंट नहीं हुआ है। हिन्दुस्तान में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। 1969 के बाद 1976 में बयालीसवां संशोधन हुआ जिसमें हमने कहा कि हिन्दुस्तान समाजवादी गणराज्य होगा।

आदरणीय महोदया, हिन्दुस्तान के किसान गन्ना कैसे पैदा करते है? गांवों के किसान नौ महीने जाड़े, बरसात की कठिन दोपहरी में कितनी मेहनत से किसान गन्ना पैदा करते हैं और आज हमारी नीति का यह परिणाम है कि हमें चीनी विदेश से मंगवानी पड़ रही है।

जब जनता पार्टी की सरकार यहां थी, तो उनकी किसान-विरोधी नीति के कारण चीनी का उत्पादन घट कर 38 लाख मीट्रिक टन हो गया। श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में 1980 में आई। उन्होंने सत्ता में आने के बाद टर्म आफ ट्रेड के सिद्धांत को स्वीकार किया कि किसानों के खेतों में पैदा होने वाली वस्तुओं और कारखानों में पैदा होने वाली वस्तुओं के दामों में पैरिटी स्थापित की जायेगी और उस सिद्धांत के तहत उन्होंने 22, 24 रुपये क्विंटल के हिसाब से गन्ने का दाम तय किया। हिन्दुस्तान के किसानों ने 1981-82 आते-आते दो साल के अन्दर 39 लाख मीट्रिक टन से चीनी का उत्पादन बढ़ाकर 82, 83 लाख मीट्रिक टन कर दिया। हिंदुस्तान चीनी के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। हिंदुस्तान 1980 और 1985 के बीच चीनी विदेशों को भेजने लगा।

1980 में जो दाम था, आज 1987 है — सात वर्ष के बाद खेतों में जो पैदा

करने वाली चीजें यह हैं फटिलाइजर, उस का दाम बढ़ गया, सिंचाई का रेट बढ़ गया। उत्तर प्रदेश में बिजली का रेट बढ़ गया, मजदूरी बढ़ गई, ट्रैक्टर के दाम बढ़ गये, बैलों की कीमत बढ़ गई, जितनी चीजें खेती में इस्तेमाल होती हैं, उन सब का दाम बढ़ गया और करीब-करीब डयोढ़ा बढ़ गया और आपने गन्ने का दाम कभी आठ आने और कभी दो रुपये के हिसाब से बढ़ाया है और आज हिन्दुस्तान जैसे देश में जहां हमारी नीति अगर किसानों के हक में होती, तो हम दुनिया को चीनी खिला सकते हैं, पर आज हम विदेश से चीनी मंगवा रहे हैं।

आदरणीय महोदया, हिन्दुस्तान में पर कैपिटा कंजम्पशन रूस और अमरीका दोनों की अपेक्षा बहुत कम है, सबसे कम है – जो पर कैपिटा कंजम्शन है शुगर का और इसके बावजूद भी हम चीनी आयात कर रहे हैं। अब मिल मालिकों को पहले लेवी में 35 प्रतिशत की छूट थी, फिर 40 प्रतिशत हुई, अब 50 प्रतिशत हो गई है।

प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हिन्दुस्तान के किसान और जवान, लाल बहादुर शास्त्री जी के "जय जवान, जय किसान" का सपना, यह हिन्दुस्तान की दो बाहें हैं और इन्हीं दोनों बाहों से हिन्दुस्तान की रक्षा होगी। प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि अभी तक तो एग्रीकल्चरल प्राईस कमीशन था, जो किसानों के खेतों में पैदा होने वाली वस्तुओं के दाम तय करता था। 1984 में बम्बई की लाखों की भीड़ में प्रधान मंत्री ने कहा कि अब एग्रीकल्चरल प्राईस कमीशन की जगह एग्रीकल्चरल कास्ट्स एंड प्राइसेज कमीशन बनेगा। जिसमें कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ड्राई लैंड, वैट लैंड, जोगरफीकल सिचुएशन्ज क्लाइमेटिक जोन्ज को मद्दे-नजर रखते हुये 7 आदमियों का एग्रीकल्चरल एंड प्राइस कमीशन बनेगा जो पहले कास्टिंग करेगा तब प्राइसिंग करेगा। 1984 में देश के प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की थी लेकिन आज तक एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस कमीशन नहीं बना। यह कृषि मंत्रालय में काम करने वाली नौकरशाही ने या तो पूंजीपतियों के दबाव में आज तक इसको कान्स्टीट्यूट नहीं किया या हमारी लापरवाही की वजह से। आज गांव के गांव उजड़ रहे हैं, हजारों-हजार लोग गांवों से भाग रहे हैं दिल्ली और कलकत्ता जैसे शहरों की तरफ और गांवों में खेती एक घाटे का धंधा बन गया है। जिसके पास कोई काम नहीं है वह खेती करे। 99 प्रतिशत किसान कर्ज से लदे हुये हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह इस बात की जांच कराये सर्वे कराये पूरे हिन्दुस्तान में कि सबसे ज्यादा कर्जे से लदे हुये कौन हैं? आदरणीय उपसभापति महोदय, एक कारखाना बनाया किसी पूंजीपति ने एक चीनी मिल के बल पर वह मोनोपली हाउस बन गया और 50 कारखाने उसने खड़े कर लिये। न इन पूंजीपतियों के बच्चे मुल्क के लिये अनाज पैदा करते हैं और न भारत की सीमाओं पर अपने प्राणों का बलिदान करते हैं न मुल्क की एकता और अखंडता की रक्षा करते हैं और ये इस तरह से किसानों के साथ व्यवहार करते हैं। इसकी एक ही दवा है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करें। समाजवाद की तो हम बातें करते हैं तो इसके लिये साथ ही टैक्सटाइल मिलों का राष्ट्रीयकरण करना होगा, ड्रग इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण करना होगा। नहीं तो हमें समाजवाद की बात बन्द करनी होगी। हिन्दुस्तान की जनता समाजवाद चाहती है यह हमने आजादी की लड़ाई के दौरान ही तय कर लिया था और जो समाजवाद के दुश्मन होंगे उनको आज नहीं तो कल भारत की जनता उखाड़ कर फेंक देगी। समाजवाद के साथ हमें कदम से कदम मिलाकर चलना है। आदरणीय एच के एल भगत जी आप तो समाजवाद के समर्थक हैं और आप सिविल सप्लाइज मिनिस्टर हैं। 8 आना प्रति क्विंटल गन्ने का दाम बढ़ाया गया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जब भारत की सरकार ने श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में 12 मार्च, 1980 को यह सिद्धांत स्वीकार किया कि किसानों के खेतों में पैदा होने वाली वस्तुओं और कारखानों में पैदा होने वाली वस्तुओं के दाम में पैरिटी स्थापित की जायेगी और अब देश के नेता श्री राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा कि एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन की जगह एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस कमीशन बनेगा जो खेत में पैदा होने वाली चीजों की कास्टिंग करेगा तब

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

प्राइसिंग करेगा तो किस गणित के आधार पर किसानों को 24 रुपये क्विंटल का दाम दिया जा रहा है? आदरणीय उपसभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार यह घोषणा करे माडर्नाइजेशन की बात हमारे वर्मा जी कहते हैं क्यों माडर्नाइजेशन होगा? आधुनिकीकरण के नाम पर ये मिल मालिक करोड़ों-करोड़ रुपये लेते हैं वे सब पैसा दूसरी इंडस्ट्री में लगा देते हैं। एक कारखाने के पुर्जे बेच देते हैं और वह मिलें उसी हालत में पड़ी हुई हैं उनमें जंग लग रहा है और सारी मिलें खत्म हो रही हैं। उत्तर और बिहार जहां सब से पहले चीनी मिलें लगीं पहले अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश और बिहार जहां गन्ना मिलें लगी आज महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की कोआपरेटिव मिलों में 35 रुपया क्विंटल गन्ने का दाम मिल रहा है वहां करीब 60–70 मिलें बन गई और उत्तर प्रदेश 12 करोड़ का प्रांत है, बिहार 8 करोड़ का प्रांत है, 5–5 लाख के प्रांत बन रहे हैं। सौ-सौ करोड़ रुपया उनको प्लानिंग कमीशन से मिल रहा है। उत्तरप्रदेश और बिहार जो आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा कुर्बान हुआ, जहां के किसान अपने प्राणों को अपनी हथेली पर लेकर मरे-मिटे। इस एरिए में कोपरेटिव इण्डस्ट्री से कितनी शुगर मिल लगी? अभी वर्मा जी ने कहा कि कोपरेटिव मिलों पर कोपरेटिव में हिस्सा देने वालों का उनका कोई अधिकार नहीं है बल्कि अधिकार कंपलीट सरकार का है।

आदरणीय उपसभापति महोदया, गन्ना मिलों में शीरा बनता है और शीरे से डिस्टिलरी कारखाने चलते हैं। मैंने प्रदेश सरकार से बार-बार कहा कि अगर गन्ना मिलों को वायबल यूनिट बनाना है, अगर लाभप्रद बनाना है तो कोपरेटिव मिलों के साथ डिस्टिलरी के कारखाने बनाएं जायं। शराब तो 800 रुपए बोतल तक बिकेगी और जिस शीरे से शराब बनेगी वह 15 रुपए क्विंटल के हिसाब से बिकेगा। यह पूंजीपति शीरे को मिट्टी के दाम पर खरीदेंगे और अपनी डिस्टिलरी कारखानों में ले जाकर करोड़ों-अरबों रुपया पैदा करेंगे। यह क्या है?

आदरणीय उपसभापति महोदया, एक गन्ना मिल से डिस्टिलरी के कारखाने बन सकते हैं, गन्न की खोइए से कागज के कारखाने बन सकते हैं और शीरे से प्लास्टिक की बाल्टी के कारखाने बन सकते हैं, इस तरह आठ-नौ यूनिट बन सकते हैं। कास्ट आफ प्रोडक्शन, पूंजीपति फाइव-स्टार होटल में ठहरेगा, पचास बार हवाई जहाज से आएगा-जाएगा, कार-बंगला जितना मेटेंन करेगा, वह सब कोस्ट आफ प्रोडक्शन में आएगा लेकिन किसान का बल मर जाएगा, जो गन्ना बोता है, उसकी कीमत कोस्ट आफ प्रोडक्शन में नहीं आयगी, ट्यूबवेल खराब हो जायगा तो वह नहीं आएगा, ट्रैक्टर टूट जायगा तो वह भी नहीं आएगा। हिन्दुस्तान का किसान जाग चुका है। अगर किसान की बात मैं करता हूं तो उस किसान की बात करता हूं, जो किसान अपना खुद हल चलाता है, खुद अपना ट्रैक्टर चलाता है और खुद खेती करता है, अपने खेतों में खुद काम करता है, उन किसानों की बात करता हूं। आज किसान की हालत ऐसी हो रही है कि किसान का घर अगर गिर जाय तो घर वह नहीं बना सकता, उसकी बेटी की शादी हो तो शादी नहीं कर सकता, बैल मर जाय तो बैल नहीं खरीद सकता। हरियाणा में 15 हॉर्स पावर बिजली का दाम है, पंजाब में 17 रुपया हॉर्स पावर है और उत्तर प्रदेश में 30 रुपया हॉर्स पावर . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री शान्ति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : साढ़े 22 रुपए है।

श्री कल्पनाथ राय : अब जाकर साढ़े 22 हुआ है, विदड्रा किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, जब किसानों ने अंगड़ाई ली। त्यागी जी, जब नाक से ऊपर पानी बहने लगे तो क्या होगा? आप जानते हैं।

आदरणीय उपसभापति महोदया, हरियाणा और पंजाब के विकास के

लिए सेन्टर, एक्सचेकर का अरबों-खरबों रुपया खर्च हुआ, पिछले 35-40 वर्षों में हरियाणा और पंजाब के पाकेट की इन्कम हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा हो गयी है और उत्तरप्रदेश में वहां के किसानों वहां के मजदूरों और कारखानों में काम करने वाले लोगों को पानी न मिले, बिजली न मिले, कर्ज से लदे हुए, वहां किसानों का 22 रुपए क्विंटल गन्ना बिके और फिर मिल-मालिक गन्ने का दाम न दें, शीरे को मनमाने दाम पर खरीदें, फिर सरकार से 50 प्रतिशत लेवी भी ले लें। तो भगत जी आप सिविल सप्लाई मिनिस्टर हैं, आप 50 परसेंट फ्री-शुगर लेवी उनके लिए क्यों करते हैं ? इससे कितना मुनाफा पूंजीपतियों को होता है ?

किसान को क्या मिलता है, आठ आना प्रति क्विंटल। गन्ने की खेती करने वाले लोग, जैसे मां के पेट में बच्चे नौ महीने रहते हैं, वैसे ही दस महीने किसान मिट्टी बन जाता है अपने गन्ने के खेत में अपनी औरतों और अपने बच्चों को लेकर जान देता है और उस गन्ने को 9 महीने तक पालता है। आज लाखों लोग गन्ना बोते हैं, लाखों लाख लोग गन्ने की सिंचाई करते हैं, लाखों बोते हैं, लाखों लाख उसकी निगरानी करते हैं, लाखों लाख लोग उसको काटते हैं, लाखों लाख लोग उसको ढोते हैं, लाखों लाख लोग मिलों के गेट तक उसको ले जाते हैं, तब चीनी बनती है। आज हर आदमी को एक कप चाय चाहिए, एक चम्मच चीनी चाहिए। संसदीय दल की बैठक हो या कैबिनेट की बैठक हो, बिना चाय के, बिना चीनी के कोई आमी दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो गन्ना पैदा करते हैं उनकी क्या हालत है, इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

महोदया, अगर हमें हिन्दुस्तान के किसानों की, राष्ट्रीय एकता की, राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करनी है तो हमें किसानों की रक्षा करनी चाहिए किसानों के ही बेटे आज फौज में हैं, मिल मालिकों के लड़के नहीं हैं, कोई पूंजीपति के बेटे नहीं हैं और न वे किसानी करते हैं। तो देश का जो अन्नदाता है, जो अपना खून पर पसीना एक करके दौलत पैदा करता हैं जिसके बेटे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, जो देश की गरिमा की, उसके गौरव की रक्षा करते हैं, जो जीवन भर खेती करते हैं और चीनी व अनाज पैदा करके देश को खिलाते हैं सरकार उसके द्वारा पैदा की हुई चीजों की कीमतें सही ढंग से तय करे।

आदरणीय उपसभापति महोदया, सरकार को यह देखना चाहिए कि आज खेती का रुप बदल गया है। पहले खेती बैलों से होती थी, गोबर से होती थी और किसान खेत में खुद सिंचाई करता था। आज तो बिजली के कुएं हैं, ट्रेक्टर हैं और फर्टिलाइजर हैं, पेस्टि-साइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं जिनका इस्तेमाल किसान करता है और ये सारी चीजें उसे खरीदनी पड़ती हैं। आज खेती एक इंडस्ट्री बन गई है। कभी बाढ़ आ गई तो कभी सूखा पड़कर सारी खेती नष्ट हो जाती है।... (**समय की घंटी**)

महोदया, आपके महाराष्ट्र में सूखा पड़ा हुआ है। आप किसान को तो बोलने दीजिए।

उपसभापति : और भी किसान लोग बोलने वाले हैं, आप कृपया समाप्त कीजिए।

श्री कल्पनाथ राय : जहां से आप आती हैं वहां क्या हालत है।... (**व्यवधान**)

उपसभापित : आप दो हजार 500 की केपेसिटी है उसके बजाए 1500 कर दिया जाए, इस पर ज्यादा जोर दीजिए।

श्री कल्पनाथ राय : महोदया, आज जो दिया जा रहा है वह साढ़े बारह सौ मीट्रिक टन है, इसकी कैपेसिटी ढाई हजार नहीं की जाएगी तो चीनी मिलें घाटे में जाएंगी, भगत जी यही तर्क देंगे। लेकिन साढ़े बारह सौ टन से 1500 या 1800 टन कर दीजिए।

[श्री कल्पनाथ राय]

जो कोआपरेटिव मिलें हैं उनमें जो डिस्टलरी हैं उनमें जो मोलेसेज़ हैं उनकी कीमत आप कम से कम 10 या 12 गुना बढ़ा दीजिए जो उसकी ऐंसिलियरी यूनिट्स हैं उन को कम करें तो आपकी गन्ना मिलें मुनाफे में जा सकती हैं।

उपसभपति महोदया, आखिरी बात मुझे यह कहनी है कि सरकार को लागत मूल्य दे। सरकार अगर उनको लागत मूल्य देगी तो हम हिन्दुस्तान से चीनी विदेशों में भी भेज सकेंगे। भगत जी, हमारे हिन्दुस्तान में चीनी का पर कैपिटा कंजम्पशन लोवेस्ट है दुनियां में और आपको चीनी मंगानी पड़ रही है बाहर से। अगर रुस और अमरीका के बराबर आपका प्रति यूनिट कंजंप्शन हो जाए तो हिन्दुस्तान को कितनी चीनी की आवश्यकता पड़ेगी? 70 करोड़ जनता को कितनी चीनी की आवश्यकता पड़ेगी इसका आप हिसाब कर लीजिए। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण सरकार करे, कैबिनेट में भगत जी इस बात को ले जाएं और प्रधान मंत्री जी को इस बात की सलाह दें। कि जो श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वर्किंग कमेटी में रेजोलूशन पास किया था उसको सरकार लागू करे और आधुनिकीकरण के लिए दिया गया पैसा तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक सरकार चीनी मिलें अपने हाथ में नहीं लेगी। ये पूंजीपति करोड़ों अरबों रुपया जो माडर्नइजेशन के नाम पर लेंगे, जो सिक युनिट के नाम पर उस पैसे को दूसरे कारखानों में इन्वेस्ट करेंगे और जनता का इससे कोई भला नहीं होगा। चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कीजिए और वर्तमान फर्टीलाइजर, बिजली, पानी, ट्यूबेल, ट्रेक्टर और मजदूरी की कास्ट को मद्देनजर रखते हुए गन्ने का दाम रूपये 40 रुपये क्विंटल निर्धारित कीजिए।

आखिरी बात कहना चाहता हूं रिसर्च एंड डवलपमेंट के बारे में। महाराष्ट्र में गन्ना मिलों में जो गन्ना पिराया जाता है उसकी रिकवरी ज्यादा है क्योंकि वहां पर नये-नये रिसर्च सेन्टर्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। वहां जलवायु के आधार पर वैराइटीज पैदा की जाती हैं वहां का गन्ना ज्यादा रसभरा होता है और वहां पर गन्ने की रिकवरी भी ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में आजादी के बाद कितने रिसर्च एंड डवलपमेंट सेन्टर्स स्थापित किये गये हैं इसकी जानकारी मैं करना चाहता हूं मंत्री महोदय से। मेरी जानकारी यह है कि बिल्कुल नहीं किये गये हैं। न कोई रिसर्च, न कोई डवलपमेंट और न कोई नयी वैराइटी की यहां पर व्यवस्था है। आज महाराष्ट्र में 35 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव किसानों को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश और बिहार में में 24 रुपये क्विंटल मिलता है और यह भी पूंजीपति लोग सालों-साल बकाया रखते हैं। उनको पेमेंट नहीं करते। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार रिसर्च डवलपमेंट को भी प्राथमिकता दे। उत्तर प्रदेश और बिहार में रिसर्च एंड डवलपमेंट के काम को तेज करने के लिए नयें-नये सेन्टर्स स्थापित किये जायें तभी जाकर गन्ने की वैराइटी में विकास होगा और तभी चीनी ज्यादा पैदा होगी और जब चीनी ज्यादा पैदा होगी तो सरकार को विदेशों से चीनी नहीं मंगानी पड़ेगी। इसके लिए जरुरी है कि किसानों को ज्यादा मूल्य दिया जाये। जब ऐसा होगा तभी "जय जवान जय किसान" का नारा सफल होगा, लालबहादुर शास्त्री का सपना साकार होगा। राजीव गांधी के अनुकूल देश के किसान, देश के जवान बन सकेंगे। भारत माता की दो बाहें हैं—किसान और जवान। जब ये दो बाहें मजबूत होंगी तो देश की सुरक्षा भी मजबूत होगी और राष्ट्र का पेट मजबूत होगा। इस देश के किसान ही भगवान हैं और भगवान भूखा है। जब तक भगवान भूखा रहेगा देश तरक्की नहीं कर सकता। भगवान न तो खेतों में मैंने पाया, भगवान न मैंने रामायण में पाया, न भगवान मन्दिरों में पाया, न भगवान मैंने मस्जिद में पाया, भगवान को मैंने पाया किसानों

में, खेतों में । जो भगवान खुद हल चलाता है जो भगवान अपने हाथ से खुद हल चला कर इस मुल्क की 70 करोड़ जनता को अन्न देता है, चीनी देता है वही असल में भगवान है, वही मन्दिर है, वही मस्जिद है, वही गीता है, वही रामायण है । आज वही हिन्दुस्तान का किसान दुखी है । आज इसकी परिभाषा क्या है ? हिन्दुस्तान के गांव के माने क्या हैं ? जहां गरीब लोग रहें वही गांव है, जहां खेती हो वही गांव है, जिसके बेटे सीमाओं पर लड़े वही गांव है । जो मौजमस्ती करे, जो चमक-दमक में रहे वह शहर है । दिल्ली की चमक-दमक से लेकर कलकत्ता की चौरंगी तक को देश नहीं कह सकते । अगर देश का विकास करना है तो देश को सादगी की तरफ ले जाना है । राजीव गांधी के सपनों को साकार करना है तो हिन्दुस्तान के गांवों का विकास करना होगा, खेती का विकास करना होगा और सात लाख गांवों को आज शक्ति सम्पन्न, वैभव सम्पन्न बनाना होगा, वहां के किसानों का चतुर्दिक विकास करना होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीरेन्द्र वर्मा जी का धन्यवाद करता हूं ।

SHRI K. G. MAHESWARAPPA: (Karnataka): Madam, Deputy Chairman, the object of this Resolution is to get remunerative cane price for the farmers. This remunerative cane price is linked with the condition of the industry also. There are about 300 sugar mills in the country, out of which nearly 50 per cent are in the cooperative sector. Most of the sugar mills in the cooperative sector as well as in the public and private sectors are working at a loss. In Maharashtra only, I think good number of sugar factories are making profits. I am also pleading for payment of remunerative cane price to the farmers. But the point is, the policy of the Central Government is very important while giving remunerative cane prices to the cane growers.

Now, as per the present policy, the industry is unable to pay Rs. 350 to 400 per tonne because the cost of conversion itself may come up to Rs. 390—400. They have to pay wages also and other statutory benefits to the workers. I am not holding a brief for the industry; I am for payment of more cane prices. It depends upon the policy. The Government has now increased the quota of free sale sugar a little in the interest of survival of the industry. Out of 33 sugar factories in Karnataka, 18 are in the cooperative sector. There are very few in the private sector and, in fact, hardly four or five factories are making a profits. Supposing Rs. 30 or Rs. 40 per quintal is the cane price given, with this policy in vogue, all the sugar factories in the country will have to be closed. My learned friends should understand this: If you want to pay more cane prices to the farmers, the industry also should survive. Supposing all the factories are closed, from where can you get remunerative cane prices to the cane growers? I am connected with the cane growers in Karnataka. With large sections of cane growers I have formed associations for them, I have fought for higher cane prices for the farmers in my area. Madam, the conversion cost is high. Madam, as you are aware, out of one tonne of sugarcane one quintal of sugar is produced on average in my District. If 10 per cent is the average rate of recovery. The recovery rate in Karnataka is 10.5 per cent, in Maharashtra it is a little more and in north India it is less. So, even if you take into consideration the highest rate of recovery, it is very difficult under the present policy of the Central Government to pay more to the farmers. The policy will have to be changed.

There is no question of nationalization; I am not bringing it here in this connection. Almost all the cooperative sugar mills in Karnataka are working under loss. The Karnataka Government is prepared even to sell away some of the closed cooperative sugar factories. For instance, at Hiriyur, Gauri Bidur and Kollegal, all the three factories are now closed and more sugar factories are likely to be closed in near future. Why? The successful running of the industry depends upon the sufficient supply of good cane and the cane growing areas should be

[Shri K. G. Maheswarappa]

fixed. And, supposing the levy price is fixed at about Rs. 390 per quintal and if the conversion cost itself comes up to Rs. 400, then how can the industry survive? I am not holding a brief for industry. We know. I come from a kisan family. The kisans will get better prices only if the industry survives. Now I plead—I pleaded in the Consultative Committee also—with the Minister that he should consider. Insead of the levy and free sale sugar quotas which are 45 and 55, it should be at least 40 for levy and 60 for open market. If that policy change is made by the Central Government—60 per cent open market and 40 per cent levy —then the industry will be able to pay more to the cane growers. Otherwise it is very difficult to pay more can price. In fact, the farmers refused to supply cane to the factory demanding higher cane prices. Then what was fixed. Many a time the Government intervened and settled the matter. In fact, the minimum price recommended by the Agricultural Prices Commission and the Central Government, is not being implemented at all in the State. Why do they make that exercise? They recommend only Rs. 14, Rs. 15 per quintal. The Central Government inincreases it by 2 or 3 rupees. The Government allows more payment in the interests of the farmers. We are paying more than what is recommended by the Central Government. Otherwise, the farmers will not supply cane at all to the factories. Therefore, the criteria adopted by the agricultural Prices Commission and the Central Government's policy should be changed. This levy proportion to free sugar must be changed from now 45:55 to 60:40. Otherwise, the industry will suffer and the sugar production will be hampered.

The hon. Minister is aware that the levy price also is not uniform throughout the country. In some States like Rajasthan, they pay more levy price than what is paid in Karnataka or Maharashtra. Why is this discrimination? I think, in North India the recovery is far less than what is there in Maharashtra or Karnataka or Andhra Pradesh. I am told, the average recovery of sugar is 8.5 to 9.5. It does not exceed 10 per cent in Uttar Pradesh or Bihar or West Bengal. The Government may consider encouraging establishment of this industry in States where the percentage of sugar recovery is more. In Karnataka we are not growing jute. Jutemills can thrive in a State like West Bengal.

Next to the textile industry, the sugar industry is the bigges in the counry. And his industry is facing crisis. We are producing 70 to 80 lakh tonnes every year. The production of sugare fell down because of want of cane during past few years. Why there is shortage of cane? Because farmers are not getting remunerative price. Remunerative price is not given because the industry is incapable of giving it. It is because of this policy.

I plead strongly before the Government for reduction of central excise. I am not asking for nationalisation as already most of the sugar industry is in the public sector. and the co-operative sector. I do not understand the suggestion of our senior Member to hand it over to the farmers. In fact in the joint sector and the co-operative sugar factories, most of the shareholders are farmers. Even in the public sector and the joint sector the shareholders are farmers. In our area most of the shareholders are farmers.

SHRI VIRENDRA VERMA: In your State the farmers are the shareholders or the owners of the mills. But in Uttar Pradesh...

SHRI K. G. MAHESWARAPPA: Even in Uttar Pradesh and even on an all-India average, 55 per cent of the sugar industry is in the co-operative sector.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY (Andhra Pradesh): He is asking whether they are the owners.

SHRI K. G. MAHESWARAPPA: In fact, it is governed by the co-operative law and the company law. In what manner should it be handed over to the farmers? There should be some law under which it should be handed over to the farmers. Even if the farmers are made the

owners, with this policy, can they run the industry? On behalf of the Janata Government in Karnataka, I offer to hand over a few factories if they undertake running the factories profitably with all the existing liability. Will the Central Government stand guarantee?

We are really facing a grave situation. Out of 33 factories, hardly two or three factories are making profit—Ugar or Sankeswar, as Madam is aware. The Sankeswar factory is an old factory Great co-operative experts started it, and it is already established well in Sankeswar, border of Maharashtra. Excess can goes to Maharashtra even after feeding Sankeswar and Ugar which is in the private sector. The latest position in Karnataka is, out of 33, hardly 6 to 8 factories are making profits. It is only because of this policy. I plead that the Central Government should stand guarantee to the loans raised by the banks and other financial institutions. The State Government is under pressure to give more cane price to the farmers. Therefore, it is necessary to review the sugar policy of the Central Government. Shri Kalpnath Rai wants to pay Rs. 40 per quintal which is unknown. Under the present conditions it is an impractical demand.

Then the sugar Development Fund should be liberally given by the Central Government to the sick industries. In fact, in the textile industry there is NTC National Textiles Corporation-which takes over the sick industries. Is there any such organisation to take over the sick sugar industries in the country? 'I plead with the Central Government to establish an organisation analogous to the NTC to take over sick industries and manage them. I, on behalf of the Karnataka Government assure the Central Government that we will be happy if the sugar industries in Karnataka, whether in the private, cooperative or joint sector, are taken over, nationalised and controlled by the Central Government Let them manage. We are interested in giving more to the farmers to grow more cane and factories to produce more sugar.

As regards the policy matter, Mr. Varma stated that new licences should not be given within the area of 25 Kilometres. But the present Government policy is more stringent than what he suggested. The Central Government has stipulated that within 40 kilometres no new licences should be given. For those sick mills, which are very nearby, let there be a low to amalgamate them into one. Proposal for such a law is talked of, but it is not being brought forward. The hon. Minister who knows the industry very well and has to take some hold steps to see that these industries are saved. They are almost about to be closed. In Karnataka, the sugar industry is facing a very grave crisis. Out of 33, nearly 15 or 16 mills are suffering heavy loss. Not even one mill is being provided with any asistance by the Centre out of the Cane Development Fund. Then what is the need for a sugar Cane Development Fund? I do not think...

SHRI H. K. L. BHAGAT: I would request the hon. Member to yeild for a second. I would have said it at the end that we have started with a process of of quickly disposing of the cases. Already certain cases have been sanctioned. I have asked the State Governments that they can send the case wherever Sugar Development Funds for modernisation, for sugar-cane schemes and research etc. can be given. We want to do it quickly. The Government is very keen. There are some rules which needed to be framed. They have already been framed and cleared. we are keen about it we have to balance the interests of the producer, consumer and also the viability of the mills. These are the three things we have to reconcile. I assure you that the cases from Karnataka or from any Government will be considered expeditiously. Let me tell you I have written to almost all the Chief Ministers for that purpose. We are prepared to give loans for precise schemes for sugar-cane Development Fund. I have written to them about this and I want you to tell them to expedite the things.

SHRI K. G. MAHESWARAPPA: I am thankful to the Minister. At least hereafter he is expediting the thing by

[Shri K. G. Maheswarappa]

giving additional aid out of the Sugar-cane Development Fund thereto no sugar mill in Karnataka got any assistance out of the Sugar-cane Development Fund. Therefore, at least he should give a time limit. All the applications which are pending may be disposed of immediately. Otherwise some of the factories may not survive.

Now, in regard to the fixation of the minimum cane price, I would say let it not be left to the Agriculture Price Commission. This is my humble submission to the Minister. They do not know what is remunerative price. They may be experts, they may be holding Ph. Ds., but they do not know what is the remunerative price to be given for sugarcane depending upon the situation in each area. Therefore, take the State Governments into confidence, their experts and the representatives of the farmers and the representatives of the cane growers and the representatives of the industry concerned should sit together and have discussions on this subject to arrive at remunerative price for sugarcane every year After all increasing the minimum price every year by 50 paise per quintal only will not benefit the cane growers. You must also take into account the increased cost of cultivation while fixing the cane price. Therefore, the policy needs to be changed with regard to fixation of cane price, with regard to the open market sugar and levy sugar, with regard to the starting of the new factories with regard to the incentives to be given with regard to the assistance from cane development fund, with regard to the Central Government's guarantee to provide assistance through the financial institutions and with regard to reduction of excise duty I hope that the Govt. will come forward with a new sugar policy.

With these few words, in principle, I support the Resolution moved by my hon. friend, Mr. Virendra Verma and I close as my time is up Thank you.

श्री शान्ति त्यागी : आदरणीया, मैं माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी शुगर पालिसी के प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं महोदया, इनसे पेश्तर किसानों के नेता और इस सदन के माननीय कल्पनाथ जी बोल चुके हैं और वर्मा जी ने तो अपना प्रस्ताव रखा ही है। मेरी थोड़ी कठिनाई है वह यह है कि हमारे ये दोनों माननीय सदस्य किसानों के किताबी रहनुमा नहीं हैं, बल्कि असली किसान नेता हैं। कल्पनाथ राय जी भी और वीरेन्द्र वर्मा जी भी, आज वे लोक दल में हैं, कभी कांग्रेस में थे, उत्तर प्रदेश के मेरे प्रान्त के कृषि मंत्री भी रह चुके हैं और मैं जानता हूं कि किसानों के बहुत बड़े हिमायती हैं और कल्पनाथ राय जी भी हैं मगर अगर कहीं इनकी राय से मुझे असहमति होगी, तो मैंने कहा कि मर लिये कठिनाई का वक्त होगा और वह है। कल्पनाथ राय जी की बात पहले खत्म कर लूं उन्होंने कहा कि चीनी मिलों का पूरे देश में राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये और माननीया श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किसी वक्त इस बात का एलान किया था यह विचार का विषय हो सकता है, मगर आज शुगर पालिसी के ऊपर इस नान-आफिसियल रिजोल्यूशन में नेशनलाइजेशन आफ शुगर इण्डस्ट्रीज को डिसकस करें, तो बात कुछ जंचती नहीं है और कल्पनाथ राय जी ने यह बात भी फरमाई कि गन्ने के रेट 40 रुपये फी क्विटल कर दिया जाय। मैं किसान हूं और सुनने में यह बात बहुत अच्छी लगती है और मिलने लगेगा, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा मगर यह भी विचार का विषय है। मैं नहीं कहता कि 24 रुपये से ज्यादा होगा नहीं, होना चाहिये, मगर कितना हो ? कल को कहने लगे, 50 रुपये फी क्विटल गन्ने का रेट कर दिया जाये, तो किसानों में ढिंढोरा पीटने के लिये बात बहुत अच्छी होगी, मगर जिसके हाथ में गवर्नमेंट है, क्या उसके लिये करना मुमकिन है, यह प्रश्न मैं कल्पनाथ राय जी से करना चाहूंगा।... **(व्यवधान)**...

उपसभापति महोदया, इस रिजोल्यूशन की प्रस्तावना में माननीय वर्मा जी ने यह बात कह डाली कि सरकार को

जो वर्तमान शुगर पालिसी है, वह एण्टी किसान, एण्टी कन्ज्यूमर और प्रो-मिल-मालिक है। इस बात को मैं नहीं मानता हूं। इस समूची शूगर पालिसी में कमियां हैं, शार्ट-कमिंग्स हैं, फेलिंग्स हैं, मगर यह कि यह मिल मालिकों के हितों की हिफाजत करती है और किसान तथा कन्ज्यूमर का गला काटती है, यह मैं स्वीकार नहीं करूंगा और माननीया मैं सदन को तथा माननीय वर्मा जी को भी जो उठकर चले गये हैं, यह बात कहना चाहूंगा कि माननीय राजीव गांधी जी की सरकार ने जो बीस सूत्री संशोधित प्रोग्राम चला रखा है उसमें किसान पक्ष के लिये कितना जोर है, यह सभी जानते हैं। और

4.00 P.M. सातवीं योजना में कृषि क्षेत्र के लिये उसमें शूगर भी आ गई और गन्ना भी आ गया। इसके लिये कितना परिव्यय रखा गया है, यह बात किसी से भी छिपी नहीं है।

इसीलिए चाहे शुगर पालिसी हो या पूरी एग्रीकल्चरल पालिसी है, गवर्नमेंट आफ इण्डिया की, वह किसान - विरोधी नहीं है। यह कृपया मान कर के चलें। उसकी जो फेलिंग्ज हैं, उनको बेशक हम आज इस प्रस्ताव के माध्यम से डिकास करें। आज उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य 25 रुपये है। अगर किसी किसान के खेत में गन्ना पैदा हुआ ही नहीं, यानी फसल कमजोर है, तो बेशक 25 रुपये भी उसके लिये कोई माने नहीं रखते हैं और अगर फसल अच्छी है, तो 25 रुपये में भी वह कमोबेश संतुष्ट है, यह मैं आपको कहना चाहता हूं और क्यों ?

अब हडताल का नारा आया। तमाम लोग अपोजिशन के जटे पर हड़ताल नहीं हुई। अगर बात जायज होती कि मूल्य बिलकुल गलत आपने तय किया 25 रुपये का, तब लोग हड़ताल करते। भारत देश की जनता चाहे कोई भी सरकार हो, अगर अन्याय करेगी तो हमेशा मैदान में आएगी, सड़कों पर आयेगी, मगर गन्ने का रेट 25 रुपये उनको लाभकारी किसी हद तक लगा, तो वह स्ट्राइक पर नहीं आए। वर्मा जी ने भी कोशिश की और बहुत से भाइयों ने कोशिश की, मगर स्ट्राइक नहीं हो पाई।

आदरणीय महोदया मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि अगले वर्ष के लिये कम से कम सरकार गन्ने के मूल्य को, उसकी नीति को फिर से एग्जामिन करे कि और कितना वह कर सकती है, मैक्सिमम करे। चालीस तो नहीं होगा वह तो बहुत बढ़ जायेगा मामला चीनी का, मजदूर कुछ मांग करेंगे और चीनी का रेट और बढ़ जायेगा। इसे 28 रुपये या तीस रुपये कर लो, कुछ कर लो, अब यह माननीय भगत जी देखेंगे।

अब जहां तक बात रही पेमेंट की, आदरणीया, मैं आपको मेरठ की बात बतला रहा हूं। मैं भी फैक्ट्री को गन्ना सप्लाई करता हूं। सिवाए एक हफ्ते को छोड़ कर बाकी अपटुडेट पेमेंट है। मुझे कर्नाटक और महाराष्ट्र का मालूम नहीं, मैं नहीं जानता कि पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मैं मेरठ की बात कहता हूं कि वहां पूरे पेमेंट, चाहे वह कोआपरेटिव की है, चाहे कारपोरेशन की है, चाहे प्राइवेट की है, सब की हो रही है और किसान पेमेंट के बारे में इस बार बेइंतहा खुश है, यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष चीनी के उत्पादन में कम से कम भी 10 प्रतिशत का इजाफा होगा। यह पूरे देश के लिये और इस माननीय सदन के लिये बड़ी खुशी और प्रसन्नता की बात है।

आदरणीया, सरकार ने इस बात की भी घोषणा की है और मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि किसी भी किसान के खेत में जब तक एक क्विटल भी गन्ना खड़ा हुआ है, तब तक कोई भी मिल जो उस एरिया में है, वह चालू रहेगी, उसका आपरेशन बन्द नहीं होगा। यह बहुत बड़ी बात है और किसान की जिन्स

[श्री शान्ति त्यागी]
के लिये बहुत बड़ी गारन्टी की बात है और किसानों को सरकार की इस घोषणा से बेइंतहा प्रसन्नता होगी। इस समय देश में 35 प्रतिशत गन्ना चीनी मिल पेराई करती है और 65 प्रतिशत जो है वह खांडसारी में इस्तेमाल होता है। सब इस बात को जानते हैं। नये कारखाने खुलने चाहिए और कम क्षमता वाले--यह जो 2500 मीट्रिक टन की बात आई है, यह अनुचित मालूम होती है। इसका मतलब यह है कि आप बड़े कारखाने खोलना चाहते हैं, तो धन्ना सेठों को, टाटा, बिरला को देना चाहते हैं।

मैं एक और मिसाल आपको दूं, सन् 1932-33 में मोदी नगर में एक चीनी का कारखाना खुला और आज 50-53 साल के बाद उसी चीनी मिल के मालिक की पोजिशन भारत के इने-गिने जो टाप के उद्योगपति हैं और धन्ना सेठ हैं, उनमें हो गयी है। चीनी के बाद उनका इस्पात का कारखाना आया, कपड़े का आया, रबड़ का आया, कालीन का आया, सीमेंट का आया, आटे की मिलें आईं, दुनियां भर की मिलें आईं और इतनी बड़ी तरक्की की। यह सिर्फ किसानों के गन्ने की लूट की वजह से संभव हुआ है कि पचास साल में मोदी नगर का एक उद्योगपति भारत के चोटी के उद्योगपतियों में शुमार हो जाता है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसीलिये मैंने कहा कि प्रश्न बहुत बड़ा है और इस पर हमें बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिये। यह ढाई हजार टन कैपसिटी की जो बात हुई, इसको कम करना चाहिये और वह जो बात कही गयी कि साढ़े बारह सौ टन कैपसिटी के कारखाने खुलेंगे वह तो कोआपरेटिव सैक्टर में खोलने की गुंजाइश होगी। इस बात पर सरकार विचार करेगी कि ऐसी मेरी मान्यता है। आदरणीया, मैं इस बात से मुत्तफिक हूं, वर्मा जी ने भी कही है और कल्पनाथ जी ने भी कही है वह बिल्कुल सही बात है, जो आपने लेवी और नान लेवी चीनी की पैरिटी कर दी है 50 वह और 50 वह, यह बात अच्छी नहीं है, सेठ को फायदा पहुंचाकर उसे क्यों आप मोटा कर रहे हैं ? सेठ हिन्दुस्तान में सारे देश की जनता को लूट रहा है और इसको आप क्यों मोटा कर रहे हो ? इसको घटा कर फिर आपने 50 कर दिया, यह नहीं करना चाहिये। इससे मिल मालिकों को बहुत बड़े मुनाफे हुए हैं और यह बात किसानों में जगह - जगह चर्चा का विषय बनी हुई है कि गन्ने का रेट 25 रह गया और नान लेवी की चीनी 50 प्रतिशत। मैं दो-तीन बात कह कर खत्म करूंगा। मैं यह कह रहा हूं कि किसानों के आन्दोलन में एक बात हमेशा आई है कि सैन्टर और गेट पर एक ही रेट होना चाहिये। मैं इस बात को यहां जोर देकर कहता हूं कि यह बात भी आप स्वीकार कीजिए, लेकिन आपके डिपार्टमेंट की है या एग्रीकल्चर की यह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शूगर से संबंधित है। किसानों को वह गन्ना सप्लाई करते हैं और चीनी के लिए वह लाला जी की दुकान पर बाजार में टक्कर मारते फिरते हैं। यह बात अच्छी नहीं है। जो किसान जितनी चीनी मिल को गन्ना सप्लाई कर रहा है इसके क्वान्टम आफ सप्लाई के ऊपर कोई न कोई निश्चित मात्रा में उसके घरेलू खर्च के लिये, विवाह-शादियों के लिये, उत्सव के लिये चीनी का कोई कोटा भी चाहे 50 किलोग्राम हो, एक क्विटल हो, एक मन हो या कुछ भी हो, जो भी निश्चित हो, फैक्टरी को देनदारी होनी चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। इससे किसान को बहुत बड़ा लाभ भी होगा। महोदया, मैंने एक बात कही है और मैं वर्मा जी से फिर कहूंगा कि आपने माडर्नाइजेशन की बात कही है, आपने सेठों को जो 50 प्रतिशत की नान-लेवी चीनी का जो मामला उठाया है, यह आपने ठीक बात कही, मगर सरकार को दंडित कर दिया शुरू में प्रस्तावना में ही कि वह किसान विरोधी नीति है, मालिकान के पक्ष की है और कन्ज्यूमर का गला काट रही है, आप इन शब्दों को वापस ले लो। किसानों के

लिये सरकार जो कर सकती है जो संभव है, आप वह बात कह दो और जो नामुमकिन है, वह बात मत कहो। जो विपक्ष कर रहा है और आप तो इस वक्त विपक्ष में हैं, लेकिन आप कांग्रेस में रह चुके हैं कम से कम उस बात को कहिये जो कि सरकार के लिये मैक्सीमम संभव है। वह मांग करिये, आप किसानों के लिये और जो नितांत असंभव है, वह मत कहिये। (. . . **व्यवधान**)

श्री वीरेन्द्र वर्मा : यह उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। यह 35 और 50 कर दिया है, यह किसके पक्ष में किया है। चीनी की कीमत बढ़ा दी। . . . (**व्यवधान**)

श्री शान्ति त्यागी : इसको मैं खुद कह रहा हूं मैं यह निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की पैदावार की जो बात कही और राज्य सरकार ने भी तथा केन्द्रीय सरकार ने भी गन्ने की रिसर्च के लिये, अच्छे बीज के लिये गन्ने का बहुत कम काम किया है यह मैं निवेदन करना चाहता हूं और मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का अनुरोध करूंगा कि वह खुद देखें और उत्तर प्रदेश सरकार को भी जगायें। किसान को तो जो करना है वह कर रहा है? अपने खेतों में वह दिन-रात गन्ना पैदा करने में मेहनत कर रहा है और इससे ज्यादा वगैर आपकी सहायता के वह किसान कुछ नहीं कर सकता है। . . . (**व्यवधान**)

श्री वीरेन्द्र वर्मा : सूद का आपने कुछ नहीं कहा।

श्री शान्ति त्यागी : आप सहायता करिये, उत्तर प्रदेश और बिहार में सहायता कीजिये। आप किसानों के वोट से चुनकर आये हैं। आपकी सरकार भी और माननीय भगत जी आपकी पार्टी भी किसानों की पक्षधर है। तो कृपा करके इनके हितों की रखवाली कीजिये। आप सही कर भी रहे हैं, लेकिन कमजोर तरीके से कर रहे हैं, मजबूती से कीजिये। इन शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Satyanarayan Reddy.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh): Madam Deputy Chairman, I would like to say at the outset that I fully support the Resolution moved by Shri Virendra Verma because it is a very important Resolution. By bringing forward such a Resolution, Mr. Verma has highlighted the problem, the real problem, of the kisans in the country which has been neglected all these years. Most of the Members in this House are representatives of the farmers who are either cultivating paddy or wheat or sugarcane or vegetables. But very little has been done for the improvement of the conditions of the farmers. Though we are pleading in both the Houses of Parliament and outside and though there have been a number of agitations by the farmers, nothing concrete has been done by the Government. There is only lip-service. We pass many resolutions and we adopt many high-sounding resolutions. But, in reality, nothing concrete has been done. Recently, we have seen what a terrible turn the agitation by the farmers in Gujarat took. If the Gujarat farmers' agitation spreads to the other parts of the country, I do not think that we would be able to face it. It is an unorganised sector and all the Kisans, all the farmers, in the country will organise themselves and declare that they would not allow this Government to do any injustice to them. If that happens, then this Government will not stand if even for a day. This is my view. So, we should not neglect the grievances of the farmers, the growers of wheat, paddy, sugarcane and vegetables. The kisans are doing a great service to the nation. As a matter of fact, the strength of a nation or the strength of a society lies on the condition of the farmers. So, we have to do something good to them. Instead of talking about the general things, I would now like to concentrate on the points raised by Mr. Verma in this particular Resolution.

The first point that has been mentioned in this Resolution is that the remunerative price of sugarcane should be based on a scientific method, keeping in view the rising cost of production of sugarcane and

[Shri B. Satyanarayan Reddy]

sugar and general rise in the prices in order to provide incentives of higher sugarcane and sugar production. This is the demands of the kisans. The Gujarat agitation shows that the farmers want remunerative prices. Of course, the Government also says that it is fixing the prices on the recommendations of the Agricultural Costs and Prices Commission. I Want to tell one thing to the Minister because he is very symapathetic to the farmers and he is not blind to their problems. But I do not know what the policy of the Government is because he has to act according to the policy of the Government. But he is also equally responsible for moulding the policy of the Government. Because he is very sympathetic to the kisans, I know that he can do a lot by changing the policy of the Government and moulding the policy of the Government. The present price that has been fixed is mostly dependent on the recommendations of the Agricultural Costs and Prices Commission. As some honourable Members have asked, I would like to know who the Members of this Commission are. Of course, they may be experts and I do not dispute their knowledge. But from what background have they come? They may not understand the real position of the cultivators, the farmers, who are really struggling and doing the real work for this country. That may be the basis for calculation. Apart from that, you must have some other method of finding the real cost and other things. Recently, so far as the sugarcane price is concerned, one rupee has been increased. I think it is Rs. 18 per quintal. One rupee for quintal has been increased. I do not think it is sufficient at present, when we take into consideration the cost of living. Even an attendant in a bank—how much he gets per month! But the farmer works 24 hours in the field. And what does he get? He is not able to educate his children properly. He is not able to build his house. Throughout his life, from generation to generation, he is in farming. What is the reason? That has to be gone into. You cannot say that you are giving what the Price Commission has recommended. That will not suffice. I would like the Minister to go into the real problem. So I support the first part of the Resolution.

The second part of the Resolution says that the ownership of cooperative sugar factories should be immediately transferred to the shareholders and profits should be regularly distributed among the shareholders, annually. It is a very reasonable demand. If the Government is not inclined to accept this, then another alternative is to nationalise the whole sugar industry. There is no other alternative. I think the Government should not have any hesitation in accepting it.

The third part of the Resolution says that the cane area and sugar recovery should be the guiding factors for establishing new sugar units. This is also a very reasonable demand. I think that in the policy which the Government has announced they have taken this also into consideration, and they have to follow the spirit behind this Resolution.

The fourth part of the Resolution says that the location of new and modernised sugar mills should not be less than 25 Kms. from each other and the crushing capacity should be between 1500 and 1800 tonnes instead of 2500 tonnes. I think the Minister has mentioned 40 kms. But this also can be considered by the Minister.

Then, the fifth part says that a programme for the modernisation of all old and obsolete sugar mills in the country should be drawn up and implemented expeditiously. There is no doubt about it. Only then can we expect greater crushing capacity of the mills.

Lastly, it says that the sugarcane research programme and other developmental activities in the mill areas such as irrigation, construction of roads, etc, should be suitably augmented. Until and unless this point is looked after, nothing can be done. At present, the condition of the roads is very bad. The farmer has to bring sugarcane from the villages. Roads are not good. Roads have to be improved. Then the irrigation

facilities have to be improved. The price of fertilisers is going up. Irrigation facility is not proper. The carrier system is not good. All these things have to be taken into consideration to make it more profitable.

Before I conclude, I would like to bring to the notice of the Minister some of the suggestions so that the Minister may bear in mind in future formulations of policies. Any policy that the Government may announce or the Government may implement should be in the interest of the grower. It may be sugarcane grower or wheat grower or rice grower or any other grower. The Resolution is regarding sugarcane grower. Whatever policy we formulate, it should be in the interest of the grower. It may give some more benefit to the factory owner, the grower and the consumer. The Government must see that there is real benefit to the growers and the consumers.

I would also like to say that the cess should be utilised for the development of better quality of sugarcane, to help the sick units and other things. The most important sugarcane areas are Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and part of Punjab. Tht problems of these areas where sugarcane is grown should be understood. More financial aid has to be given to the farmers. Incentive has to be given. The cell should be utilised for the benefit and the development of sugarcane growers.

The statutory sugarcane price which has been fixed is Rs. 18 It should be raised from 18 to 20 or 21. I would like to impress it upon the hon. Minister.

The prices are being announced every year. They should be announced in advance. It should be announced a year earlier so that the farmer may know what type of crop he should cultivate.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI GHULAM NABI AZAD): We have already stated that.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: If we don't say it, you will forget tomorrow. So, we have to repeat it year after year. The kisan is mum. He has not organised himself. It is the duty of the Government to remember this. Still thtre are huge arrears which the growers are to get. The Government must take steps to see that the arrears are paid to the growers. The prices of the fertilisers are increasing day by day. So, the Government must see that the fertilisers are supplied to the growers at a reasonable rate. Whether it is the cane grower or paddy grower or wheat grower, they must get remunerative prices. Until and unless you adopt a broad outlook on this you cannot satisfy the farmer. So, this is very important. The remunerative price should not be simply depending upon the recommendations of the Agricultural Costs and Prices Commission report. You have to take other factors also into consideration.

Another point which my friends have said is about the ratio of free sale and levy sugar. So far as that is concerned it seems to be very reasonable if it is 60 per cent for free sale and 40 per cent can be levy sugar. That may help the farmer.

I take this opportunity, Madam, to say once again that we cannot neglect the very important section of our society, that is the kisan. As a matter of fact, the very progress and development of our country depends upon the kisans and the farmers. And we should not give any scope for any agitation which we have seen in Gujarat. So, I fully support the Resolution moved by Shri Verma.

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदया, मैं आपका आभार मानता हूं कि किसानों से संबंधित इस समस्या पर मुझे भी आपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है। श्री वीरेन्द्र वर्मा जी ने यह जो संकल्प गैर-सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया है उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। किसानों

[श्री राम चन्द्र विकल]

का यह दुर्भाग्य है कि वे उत्पादक भी हैं और उपभोक्ता भी हैं। यह बात लोगों की समझ नहीं आती कि किसान पैदा भी करता है और खरीदता भी है। किसान अपनी फसल बेच कर दूसरे दिन उसको खरीदने जाता है उसको ड्योढे और दुगुने दाम देने पड़ते हैं। किसान अपनी पैदा की हुई चीजों को रोक नहीं सकता है उसके सामने आर्थिक कठिनाई है। फसल पैदा होने से पहले उसको पेशगी कर्जा लेना पड़ता है। यह कर्जा वह सहकारी सोसायटी या बैंक या साहूकार अथवा तहसील से लेता है। इस कर्जे की वजह से उसको मजबूरी में अपनी फसल बेचनी पड़ती है। एक दिन भी उसको वह अपने घर में नहीं रख सकता है। हमारे देश में मजबूरी में मुनाफा कमाने की आदत हो गई है। अगर कोई भंयकर बीमार हो जाये डाक्टर की फीस बढ़ जाती है। इसी तरह से कोई उलझा हुआ मुकदमा आ जाये तो वकील की फीस बढ़ जाती है। यही हालत किसानों की भी है। उनको मजबूरी में अपनी चीजें बेचनी पड़ती है और उस मजबूरी का फायदा दूसरे लोग उठाते है। किसान आन्दोलन नहीं कर सकता है। जैसा अभी शांति त्यागी जी ने कहा कि किसानों ने आन्दोलन करने की कोशिश की, लेकिन वे आन्दोलन नहीं कर सके। में आन्दोलन करने से सहमत भी नहीं हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि आन्दोलन से राष्ट्रीय हानि होती है। किसान आन्दोलन क्यों नहीं कर पाता है? बाकी लोग आन्दोलन करते हैं और उनकी मांगे मान भी ली जाती हैं। किसान की अपनी मजबूरी है। अगर वह कोई आन्दोलन करता है तो उसका सीधा असर स्वयं उस पर ही होता है। अगर गन्ना फैक्ट्री में नहीं भेजे तो उनका गन्ना सूख जाएगा और वह अपना कर्जा भी नहीं दे पाएगा। वह अपनी भैंस का दूध निकालना बन्द कर दें तो उसकी भैंस सूख जाएगी। सभी बातों का सीधा असर उस पर होता है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी कोई आन्दोलन करते हैं तो उसका असर उन पर नहीं पड़ता है। वह समाज पर पड़ा या सरकार पर पड़ा। जब मजदूर हड़ताल करते हैं तो उसका असर उन पर नहीं पड़ता, वह मिल मालिकों पर पड़ता है, फैक्टरी वालों पर पड़ता है। लेकिन किसान जानता है कि अगर वह हड़ताल करेगा काम बंद करेगा तो खुद उसका नुकसान होगा। लिहाजा वह मजबूर है। उसकी उस मजबूरी का हमें मुनाफा कमाना आता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि किसान का जो सवाल है उसे हमें राष्ट्रीय स्तर से सोचना चाहिए। यह एक राष्ट्रीय सवाल और यह केवल किसान का सवाल नहीं है। खाली किसान का सवाल होता तो भी हमें उस पर गंभीरता से सोचना चाहिए लेकिन यह एक राष्ट्रीय सवाल है और राष्ट्रीय स्तर पर ही चिंतन होना चाहिए। यदि इस देश का किसान खुशहाल रहेगा, मालामाल रहेगा, पैदावार बढ़ायेगा तो यह देश के हित में है, खाली किसान के हित में नहीं है। क्योंकि जब किसी चीज की कमी होती है तो हम उस चीज को विदेशों से मंगाते हैं तो वे देश भी हमारी मजबूरी से मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं और उसमें उनकी शर्तें बड़ी अजीब रहती हैं। कोई भी चीज लेनी हो, मुझे मालूम है कि श्रीमती इंदिरा गांधी 1965 में प्रधानमंत्री बनी तो वह अमेरिका गईं और अमेरिका से अन्न देने को कहा तो इस पर वहां के लोगों ने बहुत सख्त शर्तें लगा दी। इंदिरा जी आज नहीं है लेकिन मैं पहले भी बोलता रहा हूं इन शब्दों को कि उन्होंने साहस करके कहा कि अमेरिका के लोगों तुम अगर भारत की अन्न की मजबूरी से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करोगे और इससे भारत के स्वाभिमान को खरीदना चाहोगे तो मैं भारत के स्वाभिमान को बेचकर जाने वाली नहीं हूं यहां से। मैं अपने देश के गरीब किसान और मजदूरों को आधे पेट रहने के लिये कह सकती हूं पर मैं अपने देश के स्वाभि-

मान को बेचूंगी नहीं। विदेशी लोक तभी हमारे देश के स्वाभिमान को खरीदने की कोशिश करते हैं जब हमारे देश में किसी भी चीज का अभाव हो, शस्त्रों का अभाव हो, मशीनरी का अभाव हो, अन्न का अभाव हो या वैज्ञानिक उपकरणों का अभाव हो। अगर देश में किसी भी चीज का अभाव है तो आज संसार में कोई भी देश इतना उदार नहीं है जो किसी की कमजोरी से मुनाफा न कमाये। इसलिये किसान के सवाल को राष्ट्रीय सवाल समझें। आज किसानों ने हिन्दुस्तान में हरित क्रान्ति कर दी चीनी का उत्पादन भी बढ़ गया है, अन्न का उत्पादन भी बढ़ गया है और अब यह बाहर जाने लगा है। मैं खाद्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे देश में चीनी का अभाव है? यदि नहीं तो क्यों मंगाते हो?

श्री वीरेन्द्र वर्मा : आदत पड़ गई है।

श्री राम चन्द्र विकल : इसलिये मंगाई जाती है कि किसानों को सही भाव न मिले।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : आदत हो गई है जैसे शराब की आदत पड़ जाती है।

श्री राम चन्द्र विकल : इसलिये कि किसानों को अच्छे भाव न मिलें। अगर देश में कमी हो और मजबूरी में बाहर से मंगाना पड़े तब तो ठीक है। लेकिन जब वह चीज देश में मौजूद है, चाहे वह अन्न हो, चीनी हो या कोई भी और चीज हो, आप विदेशों से ऐसी चीजों को क्यों मंगाते हैं?

श्री गुलाम नबी आजाद : अन्न नहीं मंगाया, चीनी मंगाई।

श्री राम चन्द्र विकल : मैं जानता हूं, मैं आंकड़ों का बहुत भुक्तभोगी हूं। वर्मा जी वहां पारंगत थे इस मामले में। महोदया, श्री परिपूर्णानन्द वर्मा जो कि सम्पूर्णानंद जी के भाई थे वे असेंबली में खड़े होते थे और आंकड़ों की झड़ी लगा देते थे और जुबानी बोलते जाते थे। उपसभापति महोदया, मुझे कुछ आंकड़े याद थे और वे गलत बोल रहे थे। मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा वर्मा जी ऐसा नहीं ऐसा है। मेरा इतना कहना था कि उन्होंने बोलना बंद कर दिया और चले गये। क्योंकि वे आंकड़े से सफाई दे रहे थे और वे झूठे आंकड़े थे। वे शाम को मेरे कमरे में मिलने के लिये आये। उन्होंने कहा कि विकल साहब हाउस में पहली बार किसी ने मुझे टोका है और इसलिये मेरा वहां रहना मुश्किल हो गया। वर्मा जी जिन आंकड़ों को किताब में पढ़ते थे उन्हीं को वहां बोल देते थे जब कि मैं गांवों में घूमता था इसलिये पता था। लेकिन जो किताबों से आंकड़े पढ़ते हैं उनको पता नहीं रहता है कि वे कितने गलत हैं। इसी तरह एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर मेरे नामराशि थे, ट्यूबवेल के। रामचन्द्र उनका नाम था। जब वे रिटायर हो गये तो वह मेरे दोस्त हो गये। हमारे दोस्त श्याम लाल जी थे वह उनके मित्र थे। वे कहने लगे कि विकल साहब जब आप ट्यूबवैल्स पर सवाल करते थे तो मैं कांपा करता था और उन आंकड़ों को ढूंढने के लिये मैं गांव गांव घूमा करता था। लेकिन बाद में मुझे डिपार्टमेंट ने एक फार्मूला बता दिया और उसके बाद मैंने गांव में घूमना बन्द कर दिया। मैंने पूछा कि क्या फार्मूला बताया था तो वह कहने लगे कि कुल खर्चे का इतना फीसदी कर दो तो सिंचाई आ जायेगी। आंकड़ों की जरूरत नहीं है, ट्यूबवैल देखो मत चाहे बन्द पड़े हो या चल रहे हों, बिजली जाये या न जाये। मैं ऐसा जानता हूं कि यह आंकड़े एक फार्मूले से बनते हैं। आज भी सुबह आंकड़ों का सवाल था कि हरियाणा में किसान को गन्ना उत्पादन करने की सब से ज्यादा लागत आई है। मैं भी सवाल पूछना चाहता था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। वह आंकड़े कहीं ऐसा तो नहीं है कि दफ्तर में बैठ कर के बनाये गये हों वरन यह बताना पड़ेगा कि हरियाणा के किस किसान की इतनी लागत आई है, सब से ज्यादा लागत आई है तो वह किस गांव के किस

[श्री रामचन्द्र विकल]

किसान के आंकड़ों की जांच की गई। उसकी फसल की लागत, मवेशी और बीज की लागत या किस आधार पर यह आंकड़े तैयार किये गये? उपसभापति महोदया, कम से कम मुझे कुछ आंकड़ों पर तो यकीन है लेकिन सब आंकड़ों पर यकीन नहीं है। आंकड़े किसी फार्मूले से सिद्धांत से बनाये जाते हैं वास्तविकता से दूर होते हैं लिहाजा मैं आंकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ता। वर्मा जी तो हैं इनके आंकड़े सही होंगे अपनी जगह पर परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं राज्यों में पाबन्दी पैदा करने वाले आदेश के हक में नहीं हूं। यह बात न तो उत्पादक के हक में है और न ही उपभोक्ता के हित में है। किदवई साहब ने हमेशा के लिये कंट्रोल हटाया वह हमेशा के लिये अमर हो गये। सारा देश इस बात को जानता है। राज्यों की सीमा लगाना कि यहां से गुड़ वहां नहीं जायेगा और वहां से यहां नहीं आयेगा, गेहूं नहीं जायेगा, चावल नहीं आयेगा, यह बात उत्पादक के हक में नहीं है और न उपभोक्ता के हक में है। राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ है, राजस्थान में सूखा पड़ा हुआ है चाहे चारा हो, गन्ना हो, शुगर हो, जो खरीददार हैं न तो खरीददार को सस्ता मिलेगा और जो पैदा करने वाला है उसको भी कम दाम मिलते हैं। इससे मुनाफा केवल व्यापारियों और अधिकारियों को होता है जो थोड़ा सा चोरी से माल निकलवा देते हैं। व्यापारियों का माल चोरी से निकलवाने में अधिकारियों के इलावा मुनाफा किस को होता है? पैदा करने वालों को मुनाफा नहीं होता है और खरीद करने वाले को सस्ता नहीं मिलता है बिचौलिये मुनाफा कमाते हैं। इसलिय ऐसे कानूनों को तुरंत हटा दिया जाना चाहिये जो उत्पादक और उपभोक्ता के हक में नहीं है और रिश्वत को बढ़ावा देते हैं। इससे देश की एकता भी खण्डित होती है। इधर से उधर सामान न जाये इसका देश की एकता पर असर पड़ता है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। देश की एकता को खण्डित करने के लिये हमारी खुद की पालिसी ऐसी बनती जा रही है चाहे नौकरी, दाखला या विश्वविद्यालय का सवाल हो, यह सब क्षेत्रवाद और प्रांतवाद के चक्कर में हमारी एकता भी कमजोर होती जा रही है। वर्मा जी ने बताया कि किसानों का दो अरब पच्चीस करोड़ रुपया बकाया है और खाद्य मंत्री जी ने खड़े हो कर उस में कुछ सुधार किया कि यह 24 करोड़ है तो मैं यह चाहता हूं कि हमें सही आंकड़े बता दिये जाएं कि वर्मा जी गलत कह रहे हैं या मंत्री जी सही नहीं कह रहे हैं दोनों में से एक तो गलत है (व्यवधान) मेरा कहना यह है कि जितना भी किसान का रुपया बकाया है मिल मालिकों पर उसके सही आंकड़े हमें बतायें जायें। किसान को तो कोई चीज उधार नहीं मिलती है। एक भी चीज बता दो जो उसको मिलती हो। मैं दूसरी चीज यह जानना चाहूंगा खाद्य मंत्री जी से, जो भी बकाया है वह आप जानें, लेकिन उसके लिये सूद की जो घोषित दर है वह 15 परसेंट की है कि इतने फीसदी सूद दिया जायेगा किसानों को अगर मिल मालिकों पर बकाया उसका है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उनको यह सूद दिया गया है या नहीं दिया गया है। मेरा यह निश्चित सवाल है कोई संदिग्ध सवाल मैं हाउस में नहीं करना चाहता हूं कि किसानों के लिये सरकार द्वारा जो घोषित सूद की दर 15 परसेंट है वह दिया गया है या नहीं दिया गया है अगर नहीं दिया गया है तो क्यों नहीं दिया गया है? यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश क मुख्य मंत्री ने घोषणा की है कि एक सप्ताह या दो सप्ताह में मिल मालिक किसानों का बकाया लौटा देंगे हम उसकी इंतजार में है कि उनकी इस घोषणा पर अमल होता है या नहीं होता है। हो जाना चाहिये, ऐसी मेरी धारणा है। खाली उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है बिहार में भी बकाया है। महाराष्ट्र में ज्यादातर कोआप्रेटिव सोसायटीज हैं लेकिन हरियाणा

है, राजस्थान में भी मुझे मालूम है कुछ छोटी-मोटी मिलें हैं। (व्यवधान) तो कहीं भी उनका रुपया मय सूद के लौटाया जाए।

उपसभापति महोदया, कमाई कौन करते हैं? जो जगह बदलना जानते हैं जो शक्ल बदलना जानते हैं, जो कागज बदलना जानते हैं। तीन तरह के आदमी कमाई करते हैं इस देश में, जगह बदलने वाले व्यापारी, शक्ल बदलने वाले उद्योग-पति और कागज बदलने वाले सब लोग। किसान न तो कागज बना पाता है, अपना ही नहीं बना पाता है दूसरे का क्या बनाएगा। मुझे बाराबंकी शुगर फैक्ट्री का एक किस्सा याद आ गया जब मैं कृषि मंत्री था और मेरे एक दोस्त की फैक्ट्री थी, आकर ऐसे आंसू बहाये मेरे सामने और अपने रिश्तेदारों को लेकर आए जो मेरे अभिन्न मित्र थे कहा कि यह घाटा है, यह घाटा है इसको गवर्नमेंट ले ले। मैंने धीरे से उसकी रिपोर्ट मंगाई, एग्रीकल्चर के सेक्रेट्री को बुलाया, उन दिनों य भटनागर ही थे जो डिफेंस सेक्रेट्री हैं मैंने कहा कि जांचों, यह इतना चिट्ठा दिया है घाटे का, फैक्ट्री के लिए कहते हैं कि हैंड ओवर कर लो। जब मैंने अन्दर से पूछा, यह मैं अपने दोस्त की बात बताना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि जो लोन इधर-उधर से लिया था उससे दूसरी चीजें ले लीं और लोन फैक्ट्री के नाम पड़ा हुआ है, नाम फैक्ट्री का सामान खरीद लिया और, कार आ गयी उसके नाम से और फेमिली में इस्तेमाल होने लगी, पता नहीं ऐसे आंकड़े लाकर मुझे दिए। फिर आंकड़े आने के बाद मेरे दोस्त आए तो पहली बार मुझे मालूम हुआ कि यह तो बुद्धि का बल है इस देश में, बुद्धि के बल पर किसी का कोई शोषण कर लो। फैक्ट्री मुनाफे की और फैक्ट्री से लेकर मकान बना लिया, कार ले ली, दूसरी फैक्ट्री बना ली और एक फैक्ट्री घाटे की देकर कहते हैं इसको गवर्नमेंट ले ले। मरी बछिया बामन के सिर, वह सरकार ले ले। सुकुल जी नाराज मत होना एक उदाहरण आ गया है। जब फैक्ट्री कमजोर हो जाए तो गवर्नमेंट ले ले जबर्दस्ती। खाद्य मंत्री जी इन बुद्धिमानों का इलाज जल्दी से कर लें, ये बुद्धि के बल पर श्रम का शोषण न करें वरना श्रम से लोग दिल तोड़ जायेंगे पसीना बहाने वाला आंसू बहाएगा तो देश में समाजवाद कभी नहीं आ सकता है। देखने में यही आ रहा है कि जो पसीना बहाता है वही रो भी रहा है वही आंसू भी बहाता है।

एक बात मैं और यह कहना चाहता था कि जो कोआपरेटिव बेसिस पर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में भी हमने देखा कि सोसायटीज हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र गुजरात की कोआपरेटिव सोसाइटियों का मालिकाना हक या मुनाफा किसानों में बांटा जाता है उसी तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार में क्यों नहीं बांटा जाता है, मुनाफा भी और उनका अधिकार भी क्यों नहीं दिया जाता है। यह भेद की नीति क्यों की है केन्द्र सरकार के होते हुए। आप इसको चेक करें कि अगर कोआप-रेटिव बेसिस पर हमने फैक्ट्रीज बनाई है, किसानों को अपना हिस्सा दिया है उसके डाइरेक्टर भी बने हुए हैं तो मुनाफा और अधिकार उनको क्यों नहीं दिया जाता है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। इतना जरूर कहूंगा कि किसान चाहे गन्ना पदा करने वाला हो, चाहे अन्न पदा करने वाला हो, किसान के अन्न को खाकर सारे देश की आंखें खुलती हैं खाद्य मंत्री जी और बड़े आदमियों की आंखें किसानों की चीनी से खुलती है, बेड टी लेकर। उससे पहले आंखें नहीं खुलती, बेड टी चाहिए सुबह बिस्तर पर, हालांकि मैं चाय का विरोधी हूं, बेड टी बंद करा कर मैं मट्ठा पिलाने की बात करता हूं जिससे थोड़ा स्वास्थ्य भी बने हे पर इस देश की आंखें तो बेड टी पीकर खुलती हैं और उसका निर्माता कौन है, कभी उसकी तरफ आंखें खोलकर देख लिया करें चाहे उद्योगपति हों च व्यापारी हों, चाहे सरकारी अधिका

[श्री राम चन्द्र विकल]

हों या मंत्रीगण हों, कोई क्यों न हों। किसानों की तरफ आंखें खोलकर देखें। वह तुम्हारी आंखें खोलता है तुम उसकी तरफ आंख खोलकर देखो। उसके पसीने की कमाई का बुद्धि के बल पर शोषण न करें। वह सीमाओं की रक्षा करता है, पता नहीं क्या क्या करता है, मैं तो बहुत जानता हूं किसान के बारे में, भुक्तभोगी हूं छोटा सा किसान हूं। किसान की मैंने मजबूरी बता दी है। पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि उठेंगे तो तूफान बन कर उठेंगे। अभी किसानों ने उठने की ठानी नहीं है उठेगा, तो यह फिर तूफान बन कर उठेगा, फिर इससे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि यह सीधा-सादा होता है, गुस्सा आता ही नहीं उसको गुस्सा अगर आए, तो फिर उसको रोकने के लिए बड़े उपाय करने पड़ते हैं। लिहाजा इस देश का किसान नाराज न हो जाए, पैदावार घट जाएगी इसकी नाराजगी से, देश की और भी बातें गलत हो सकती हैं।

मैं और अधिक नहीं कहना चाहता हूं। किसान की मजबूरी से फायदा उठाने वालों पर अंकुश लगायें और किसान को उदारतापूर्वक उसका सूद, उसका बकाया, उसके भाव भी--अब मैं इतना तो नहीं कहना चाहता हूं जो कल्पनाथ राय जी कह रहे थे। यह बात तो मैं सच मानता हूं त्यागी जी की कि जो गन्ना का भाव 24 रुपये दिया गया है, वह लागत मूल्यों के मुताबिक नहीं है। मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि वह कुछ बढ़ने चाहिएं और लागत मूल्यों का आंकड़ा वास्तविक निकाला जाना चाहिये। आंकड़े ऐसे नहीं हों कि जो दफ्तरों में बैठ कर बनाये जाते हैं। लागत मूल्य जिस दिन निकाल कर किसान को उसके दाम मिल जायग, उस दिन इस देश की खुशहाली बढ़ जाएगी, किसान की खुशहाली बढ़ जाएगी और हमारा राष्ट्र मजबूत हो जाएगा, कमजोर नहीं होगा हरगिज भी।

पैदावार होगी तो हम विदेशों को देंगे और चीजें। अब हमको हाथ फैलाना पड़ता है कई चीजों के लिए--वह न फैलाना पड़े।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश अपने देश के लिए और किसान बाहरी देशों के लिए अधिक से अधिक पैदावार करके खुशहाल खुद भी बनता रहे और देश को भी बनाता रहे और जो खरीददार है, उपभोक्ता हैं, उनको भी कम दामों पर चीजें मिलती रहें। ज्यादा पैदावार होगी, तो सस्ता अपने आप हो जाएगा। दुर्भाग्य यह है कि किसान जिस वक्त आलू की पैदावार बढ़ा देगा, तो आलू के भाव डाऊन, गन्ने की पदावार बढ़ा दे तो उसके डाऊन, गेहूं की पैदावार बढ़ा दे तो उसके डाउन। जो पैदावार बढ़ा देवें, तो उसके लिए तो कुछ इनाम होना चाहिए, कुछ पारितोषिक मिलना चाहिए ज्यादा पैदावार करने पर, लेकिन यहां उलटा हो जाता है, भाव गिर जायेंगे।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ वर्मा जी के इस संकल्प का, कुछ बातों को छोड़ कर जो उन्होंने बिलकुल यह कह दिया कि एंटि-किसान है और किसान विरोधी है, ऐसा तो मैं नहीं हूं, उनकी जो अतिशयोक्ति है, उसका तो हामी नहीं हूं, पर यह संकल्प उपयोगी है और इसकी अच्छी बातों पर सरकार को अमल करना चाहिए।

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: Madam Deputy Chairman, I want to congratulate my senior colleague for tabling this Resolution and bringing to the attention of this Government a very important problem that the country is facing. Sugar industry is in crisis. The very fact that we have to import sugar to the tune of 5 lakh tonnes itself reveals that we are not in good shape as far as sugar industry goes. It has been stated in the press several times that about 50 per cent of the 387 sugar mills are on the sick list. This is also a grave situa-

tion. The person who is putting the labour, the farmer, the person who is working in the factories, all of them are unhappy. What is the position of a worker working in a sugar factory? He is in the lowest ladder in the organised labour. He is the lowest paid. After 18 years a Wage Board has been announced but it has not come out with its decision. Only Rs. 45 as interim relief has been given to the sugar worker after 18 years. Where has he to go? So, the worker working in the sugar industry, the farmer working in the sugar field, are not getting their proper dues, and for all this the Government of India should take the total responsibility. Molasses is a byproduct. Khandsari factories are in a position to sell it in free market at about Rs. 150 or more per quintal and they are able to pay a remunerative price, to the farmer, about Rs. 27 to 28 as stated. When the Khandsari factories can pay the remunerative price, what is the difficulty for other factories to pay the remunerative price? Government of India should think about this-why this differentiation as far as price of molasses goes between two sectors of the same industry. Government of India is also collecting excise duty which works out to about Rs. 1000-1500 per acre. When so much income is coming from the sugar growers, then what is the difficulty? We can inbuild all these things in fixing the remunerative price. When khandsari factory can pay Rs. 27, why cant we say that Rs. 27 is the correct remunerative price because one man is in a position to pay? The farmer is a person who has been at a loss continuously all through because the entire progress of our country has been shifted to the shoulders of the farmer. It is the agricultural economy which has to suffer in order to have the capitalist industrial economy. That is law of Economics. Without the sufferance of one wing, the other wing cannot grow. For how many years more you are going to starve the agricultural sector in the interest of industrial sector? Because this is the law. Because the price of inputs and everything is governed by the industrial sector. And the dues are their right. When imperialism was there, that was the method of exploitation. When we are ruling ourselves, that is the method of exploitation. Our shedding crocodile tears is not going to help to convince the farmers that this Government has got some soft corner for him. That is why I request the hon. Minister to deeply go into this situation where half of the mills are becoming sick and when you are importing 5 lakh tonnes this year, what a grave situation it is? And the farmers are not even getting their dues. They are not collecting any interest on these dues. And in every State there is a different policy. As a matter of fact, cooperative means the total authority must rest with the shareholders. Why is this not properly understood? We must make the farmers owners of all the industries which are agro-based. Let it be well understood. The farmer has got every right that his cooperative should move in such a direction that the economy of this country is rearranged in favour of the farmer. Thank you, Madam.

श्री नरेश सी० पुगलिया (महाराष्ट्र): माननीया उपसभापति जी, इस सदन के सदस्य श्री वीरेन्द्र वर्मा जी ने प्राइवेट मेम्बर रेजुलेशन के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उपस्थित की है और खासकर के मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्च की 4 तारीख को स्पेशल मेंशन के माध्यम से इस विषय की शुरूआत मैंने की थी और उसी दिन वीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा था कि इस पर सदन मे ठीक ढंग से विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और इस पर आपने मुझे चर्चा का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं।

महोदया, केन्द्र सरकार ने दो माह पहले सरकार की जो नयी चीनी-नीति घोषित की है, उस नीति के कारण खासकर के कोपरेटिव सेक्टर में जो शुगर फैक्टरी आ रही थीं, उस पर बहुत बडा आघात हुआ है। उपसभापति महोदया, आप महाराष्ट्र से आती हैं, उस महाराष्ट्र में 188 शुगर-फैक्टरी हैं, यहां फूड एंड सिविल सप्लाई के राज्यमंत्री जी बैठे हैं, यह भी महाराष्ट्र

[श्री नरेश सी० पुगालिया]

से हैं, इसलिए मैं आप दोनों का ध्यान विशेषकर आकृष्ट करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, जहां पर जो चीनी का उत्पादन किया जाता है वह पूरे हिन्दुस्तान का 34 प्रतिशत है। तो मेरा कहना यह है कि देश में शुगर का जितना उत्पादन होता है, उसका 34 परसेंट अकेले महाराष्ट्र से आता है। सलिए यह जो सरकार की नयी चीनी नीति है, यह न तो किसानों के हित में है, न कोपरेटिव के हित में है और न ही हमारी सरकार के हित में हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि महाराष्ट्र से 56 परपोजल पिछले एक साल से, डेढ़ साल से जिन लोगों ने दिए थे, जहां चीनी मिलें ही नहीं थीं, जो पिछड़े इलाके थे महाराष्ट्र में या देश के अन्य राज्यों में, वहां जहां के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत थी, वहां के नेता जिनकी पहुंच थी, उन लोगों ने अपने-अपने एरिए का विकास कर लिया। लकिन जो पिछड़ा हुआ इलाका था, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर था, उस इलाके में आज से दस-बीस साल पहले कुछ नहीं हुआ, लकिन आज पिछले पांच साल से, सन् 1980 के बाद से उस पिछड़े हुए इलाके में चीनी-मिलें कोपरेटिव के माध्यम से तैयार करने की कोशिश जब चालू की तो हमने देखा कि सरकार ने नीति ही बदल दी। पहले सरकार की नीति के अनुसार 1250 टन प्रति दिन उसमें उपयोग होता था, उसको बढ़ाकर आपने 2500 टन कर दिया, जो 8 से 10 करोड़ की शुगर फक्टरी थी, उसकी लागत बढ़कर 20 से 21 करोड़ हो गयी और जिसमें शेयर केपिटल एक करोड़ होता था, आपने उसको दो करोड़ कर दिया। किसानों के लिए तो एक करोड़ रुपया केपिटल के रूप में जमा करना कोई मामूली बात नहीं है और आपने उसको बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया और आपने एक लाख टन गन्ने की गारन्टी मांगी आप मुझे बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर वहां शुगर-फैक्टरी आती है, किसानों को उसकी जानकारी होती है तो किसान फैक्टरी स्टार्ट होने के दो साल पहले गन्ना लगाएगा, लेकिन जहां शुगर फैक्टरी ही नहीं वहां एक लाख टन गन्ना उगाने का सर्टिफिकेट कहां से लाएगा। इस प्रकार जो आप कर रहे हैं, यह गलत है। मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कृषि विभाग के अधिकारी और कोपरेटिव सेक्टर में जो हमारी शुगर लाबी महाराष्ट्र में है या देश के स्तर पर है, जिन्होंने 15–20 साल में एक फंड जमा किया है, जिसका भरोसा देश की राजनीति में भी असर करता है और दूसरी देश की स्थिति में भी असर करता है, मनमानी पालिसी बना लेते हैं। शुगर सिंडिकेट के लोग नहीं चाहते कि देश के पिछड़े इलाके में फैक्टरी लगें, जहां किसानों की मांग है या वहां के कार्यकर्ताओं, राष्ट्रीय और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग है क्योंकि गन्ने की फसल लेने से, शुगर फैक्टरी जहां हैं, वहां गन्ना किसान लगाएगा, जहां गन्ना होगा, वहां उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन इस शुगर फैक्टरी के विषय में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शुगर फैक्टरी आए चाहे कोपरेटिव सेक्टर में रहे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में रहे, चाहे पब्लिक सेक्टर में रहे या ज्वायंट सेक्टर में रहे देश के अंदर सबसे बड़ा मजाक जो हुआ है, वह सन् 1977 के बाद हुआ है जब जनता सरकार पावर में आयी उन्होंने चीनी-नीति को इस ढंग से बदला कि हमारे किसान भाइयों, जिनके खेतों में गन्ना था, गन्ना काटकर शुगर फैक्टरी में पहुंचाने की हालत में नहीं रहे और उन्होंने गन्ना जला दिया। इस तरह से ढाई-तीन साल के पीरेड में हम लोग देश में चीनी के उत्पादन में एकदम पीछे हो गये और जिसका नतीजा यह हुआ कि आज हमको चीनी इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। आप सन् 1977 से पहले की स्थिति को देख लें हमारे यहां चीनी का भंडार कितना था आपने तीन साल में उसको घटा दिया। लेकिन अब सन् 1980 के बाद से हमने फिर से चीनी के उत्पादन में तरक्की की है, किसान भाइयो को पैसा मिलना चाहिए इसके लिए ज्यादा से ज्यादा फंड देने की कोशिश की है। जब इंडस्ट्री

अपने बलबूते पर खड़ी होने लगीं तो आपने दो महीने पहले अपनी पालिसी को चेंज कर दिया। इस तरह से आपके अधिकारी और शुगर सिंडिकेट के लोग मनमानी करने लगे तो इससे देश को नुकसान होगा। चीनी का संबंध सर्व-साधारण से है, चाहे वह बड़े से बड़ा व्यक्ति हो या छोटे से छोटा व्यक्ति हो, सबको चीनी की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं कहूंगा कि भारतवर्ष में अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कांग्रेस की सरकार के माध्यम से हमने हर क्षेत्र में क्रांति की है, तरक्की की है, आज हम कृषि के क्षेत्र में आत्म-निर्भर हो गए हैं, हमारे यहां अनाज का उत्पादन इतना ज्यादा हो गया है कि आने वाले पांच-दस साल में अनाज की मार्केटिंग की प्रोब्लम रहेगी। एक दो तीन चीजों को आप छोड़ दीजिए, खाद्य तेल को छोड़ दीजिए, चीनी को छोड़ दीजिए, पलसेस को छोड़ दीजिए, तीनों चीजें छोड़ दीजिए, बाकी चीजों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा, इसलिए किसानों को मार्केटिंग की प्रोब्लम न आए, इस ओर ध्यान देना होगा और हमें विदेश से चीनी न मंगानी पड़े, इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जब सरकार ने इतनी अच्छी शुरूआत की है तो ऐसी सूरत में जिन लोगों ने षडयंत्र करके [illegible] पालिसी को चेंज किया है, मैं [illegible] उनके खिलाफ सी० बी० आई० के माध्यम से जांच [illegible]

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now the time for the non-official business is over. He is on his legs. So, he would continue when we again take up this discussion.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS—Contd.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we take up the discussion on the Ministry of External Affairs. Mr. P. N. Sukul may continue his speech.

SHRI P. N. SUKUL: Thank you, Madam.

Madam, as I was saying in the morning, our foreign policy has, over the last four decades, been the same, and there is a definite consistency in our policy. The foundations of our foreign policy were laid down by Pt. Nehru, and on those foundations a grand edifice was erected by Mrs. Indira Gandhi so much so that our country has now become the most developed amongst the developing nations and a force to reckon with.

Our foreign policy is based mainly on the idea of peace and human liberties, human rights. Even in our Constitution we have provided, we have talked of world peace. We are so much wedded to the idea of peace. And it is only to pursue these ends, for having peaceful co-existence among nations that Pt. Nehru gave us non-alignement to which we still stick. This non-alignment, there are people who are not able to appreciate, at least those who are very much interested in themselves and not in others. Some talk of equi-distance between the two power blocs. If we are really non-aligned, we should have equi-distance, they say. How can we have equi-distance? We have our own perceptions which differ from country to country. There are countries who have helped us, who help us. In spite of this policy of non-alignment, how can we keep ourselves equi-distant from the friends and foes, both? That is why, on the basis of our own experience, we have developed our friendship with certain nations, certain countries who do not want to destabilise us, who do not create problems for us but rather help and have helped us.

About our neighbours, immediate neighbours, Madam, soon after Shri Rajiv Gandhi became the Prime Minister the second time, in his very first broadcast to the nation on the 5th of January, 1985 he talked of closer and better relationships with the neighbouring countries, and he did all possible to have this kind of closer and better relationship with our neighbours. He sent emissaries, foreign secretaries, foreign ministers to almost all